पेंशन संबंधी आदेशों का संग्रह

1.4.2014 से 31.03.2015
तकज ारी

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली
www.pensionersportal.gov.in

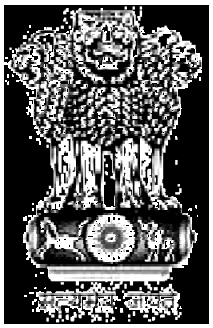

1.4.2014 से 31.03.2015
तक जारी
पेंशन संबंधी आदेशों का
संग्रह

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली
www.pensionersportal.gov.in

प्रस्तावना

हमारा प्रयास रहा है कि हम, हमारे हितधारकों को पेंशन से संबंधित परिपत्रों पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं। इस उद्देश्य के अनुसरण में, हमारे सभी परिपत्र वेबसाइट pensionersportal.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ पेंशनभोगियों ने संकेत दिया है कि पुस्तिका संकलन में इन परिपत्रों की उपलब्धता से उन्हें सुविधा होगी। तदनुसार, वर्ष 2010 के बाद से प्रतिवर्ष पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी आदेशों का एक संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है।

2. अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि के दौरान जारी किए गए "पेंशन संबंधी आदेशों का संग्रह" के छठे संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करता हूं कि यह संग्रह सभी संबंधित पक्षों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस संग्रह के स्वरूप और सामग्री में सुधार संबधी सुझावों का सदैव स्वागत है।

3. मैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने विभाग द्वारा इस अवधि के दौरान जारी सभी आदेशों को संकलित करने के लिए कड़ी मेहनत की। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

आलोक रावत
15.12.2015

(आलोक रावत)
सचिव (पेंशन,
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत)
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली
दिनांक: दिसंबर 2015

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा
01.04.2014 से 31.03.2015
के दौरान जारी आदेशों / निर्देशों की सूची

क्र. सं	डेस्क	का.ज्ञा./ अधिसूचना सं.	विषय	जारी करने की तिथि	पृ. सं.
1.	(जी)	42/10/2014- पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी)	केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति - संशोधित दर दिनांक 1.1.2014 से लागू	09.04.2014	1-2
2.	(डी)	4/25/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (डी)	कुटुंब पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी - पात्रता की तारीख के संबंध में।	02.05.2014	3
3.	(जी)	42/10/2014- पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी)	अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि सीपीएफ (लाभार्थियों को 1.7.2014 से महंगाई राहत की स्वीकृति।	07.05.2014	4
4.	(ई)	1/27/2011- पी एंड पी डब्लयू (ई)	पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण -सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के कागजातों के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।	07.05.2014	5-6
5.	(जी)	42/22/2014- पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) अधिसूचना जीएसआर सं.355 (ई)	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन की संराशीकरण) दूसरा संशोधन नियमवाली, 2014।	26.05.2014	7-15
6.	(एफ)	20/4/2014- पी एंड पीडब्लू (एफ)	सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत) 1962 के तहत फार्मों के संशोधन के संबंध में।	19.06.2014	16-29
7.	(ई)	1/19/2013- पी एंड पी डब्लयू (ई) (अधिसूचना) जीएसआर सं. 628 (ई)	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) चतुर्थ संशोधन नियमवाली, 2014।	29.08.2014	30-41
8.	(जी)	42/10/2014- पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी)	केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति - संशोधित दर दिनांक 1.7.2014 से लागू।	29.09.2014	42-43
9.	(ई)	1/18/2001- पी एंड पी डब्लयू (ई)	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 ,के नियम 54 के अंतर्गत कुटुंब पेंशन पाने के उद्देश्य से नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी /बोर्ड के संबंध मे।	30.9.2014	44
10.	(ए)	38/31/11- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (खंड. IV)	वर्ष 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन - सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का दिनांक 1.1.1996 से समावेशन।	14.10.2014	45

11.	(जी)	42/10/2014- पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी)	अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 1.7.2014 से महंगाई राहत की स्वीकृति।	20.10.2014	46
12.	(ए)	38/31/11- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (खंड. IV)	वर्ष 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन - सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस -बंदी भत्ते (एनपीए) का दिनांक 1.1.1996 से समावेशन।	21.10.2014	47
13.	(डी)	4/25/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (डी)	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में न रहने वाले केंद्र के पेंशनभागियों को निश्चित चिकिसा भत्ता (एफ एम ए) दिया जाना।	19.11.2014	48
14.	(एफ)	45/3/2008- पी एंड पीडब्लू (एफ)	सेवाकाल में मृत्यु और नि:शक्तता के मामलों में विशेष लाभ- 2006 से पूर्व के नि:शक्तता पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों की नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन के संबंध में।	20.11.2014	19-52
15.	(एफ)	7/3/2013- पी एंड पीडब्लू (एफ)	अवयस्क को देय उपदान का भुगतान किए जाने के संबंध में।	02.12.2014	53-56
16.	(ए)	38/31/11- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) अधिसूचना जीएसआर सं. 266	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) पंचम संशोधन नियमवाली, 2014।	23.12.2014	57-59
17	(ए)	38/31/11- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (खंड. IV)	वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन- सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का समावेशन।	18.02.2015	60-61
18.	सम न्वय	4/2/2013- पी एंड पी डब्ल्यू (समन्वय)	'अनुभव' - सेवा के दौरान किए गए उत्कृचष्टज कार्य का विवरण प्रस्तुनत करना - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सेवानिवृत्तव हो रहे सरकारी कर्मचारी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुात किए जाने के संबंध में।	19.02.2015	62-63
19.	सम न्वय	4/2/2014- पी एंड पी डब्ल्यू समन्वय	सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान किए गए उत्कृ'ष्ट कार्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए "अनुभव" नामक साफ्टवेयर के संबंध में।	05.03.2015	64
20.	सम न्वय	4/2/14- पी एंड पी डब्ल्यू (समन्वय) अधिसूचना सं. 232	"अनुभव" सेवा के दोरन दिए गए उत्कृष्ट कार्य का ब्योरा प्रस्तुत करना। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के फार्म 5 संशोधन।		65-66
21.	(ई)	1/19/2014- पी एंड पी डब्लयू (ई)	आधार संख्या के लिए नामांकन और उन्हें सभी पेंशनभोगियों एवं कुटुंब पेंशनभोगियों के पेंशन अभिलेखों में दर्ज किए जाने के संबंध में।	31.03.2015	67

फा0 सं0. 42/10/2014-पी एण्डभ पी डब्यू न (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:09 अप्रैल, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति – संशोधित दर दिनांक 1.1.2014 से लागू ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं0 42/13/2012-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1.1.2014 से मौजूदा 90% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी ।

2. ये आदेश (i) केन्द्रीय सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्बक पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्था पित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्बो पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं, किंतु जिन्हैंत पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्तय हो रही है, तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्याक 23/3/2008-पी एण्डप पी डब्ल्यू (बी) के साथ पठित दिनाक 23.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 23/1/97-पी एण्ड0 पी डब्ल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे ।

3. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन होने पर एकमुश्त धनराशि आहरित किया था तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 4/59/97-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्त करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.1.2014 से 100% की दर से महंगाई राहत के भुगतान के हकदार होंगे । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का0 ज्ञापन सं0 4/29/99-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) में निहित अनुदेश देखें ।

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

क्रमश:..2..

5. नौकरीपेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा केन्द्र सरकार के पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45/73/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथासंशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 38/88/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे । जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महँगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ।

7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी ।

8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं0 528-टी ए, II/34-80-II तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं0 जीएएनबी सं0 2958/जी ए-64 (ii) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें ।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(4)/ई V/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्तर आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट http://pensionersportal.gov.in देखें।

सं. 4/25/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्लीभ, दिनांक: 02 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय- कुटुंब पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी- पात्रता की तारीख के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 19.12.1997, 24.08.1998, 30.12.1998 और 17.04.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/57/97-पी एंड पी डब्ल्यू (सी) द्वारा सीजीएचएस के दायरे में निवास नहीं करने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 100/- रु. प्रतिमाह के नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। इस विभाग के दिनांक 26.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्यार 4/25/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) द्वारा इस नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को दिनांक 1.9.2008 से 100/- रु. से बढ़ाकर 300/- रु. करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2. मौजूदा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने के पश्चात् औपचारिकताएं पूरी करने और कुटुंब पेंशन की मंजूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। इस विभाग में अभ्याचवेदन प्राप्ति हुए हैं कि कुछ विभागों/संगठनों द्वारा अगले कुटुंब पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन की मंजूरी की तारीख से नियत चिकित्सा् भत्ता मंजूर किया जाता है। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशनभोगी को पात्रता की तारीख से लेकर कुटुंब पेंशन की मंजूरी की तारीख तक की अवधि का नियत चिकित्सा भत्ता नहीं मिल पाता है।

3. इस विभाग द्वारा मामले की समीक्षा की गई है। यह स्पगष्टक किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां मौजूदा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को नियत चिकित्सा भत्ता मिल रहा था, वहां क्रम में अगले कुटुंब पेंशनभोगी को उसी तारीख से नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाए जिस तारीख से वह कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होता है, बशर्ते वह नियत चिकित्सा भत्ता पाने की अन्य था शर्तें पूरी करता/करती हो।

(दीपा आनंद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24644636

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(डाक सूची के अनुसार)

फा. सं0. 42/10/2014-पी एण्डा पी डब्यू स (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:07 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 1.1.2014 से महंगाई राहत की स्वीकृति

इस विभाग के दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं0 42/13/2012-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) के अनुक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी निम्निलखित को दिनांक 1.1.2014 से 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की दरों पर मंहगाई राहत की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) के तहत 1.11.1997 से 600/- रु. प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि मिल रही है और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा संशोधित कर, समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000/- रु., 1000/- रु., 750/- रु. और 650/- रु. कर दिया गया है, वे 1.1.2014 से 200% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(ii) निम्न लिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी जो इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) की शर्तों के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.1.2014 से 192% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(क) दिनांक 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त) हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए 1.1.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और आश्रित संतानें, जिन्हें 605/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से संशोधित कर 645/- रु. कर दिया गया है।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें 654/- रु., 659/- रु., 703/- रु. और 965/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा । जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित लाभार्थियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

3. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 2 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(4)/ई V/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
मानक डाक सूची के अनुसार

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट http://pensionersportal.gov.in देखें।

सं-2011/27/1 .पी एंड पी डब्लयू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ,

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्लीर,
7 मई, 2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के काग़जातों के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन अदायगी स्कीम' में यह व्यवस्था है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी द्वारा पेंशन शुरू होने से पहले वितरक बैंक को वचन पत्र प्रस्तुकत करना है। इस वचन पत्र में पेंशनभोगी उस धनराशि को वापस करने या उसकी प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है जिसका वह हकदार नहीं है।

2. यह पता चला है कि सेवानिवृत्ति के बाद पहली पेंशन के भुगतान में मुख्यत: दो कारणों से देरी होती है। पहला, पेंशनभोगी द्वारा इस सूचना को प्राप्त होने में देरी कि पेंशन के कागजात बैंक में पहुंच गए हैं, और दूसरे पेंशनभोगी की ओर से वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक पहुंचने में देरी।

3. कुछ समय से सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन कागजात के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने की संभावना पर विचार किया जाता रहा है। अत: व्यय विभाग की उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 द्वारा व्यक्त सहमति से निम्न लिखित सरलीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व फार्म 5 एवं अन्य दस्तावेजों के साथ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उससे वांछित वचन पत्र लिया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए लेखा अधिकारी/ सीपीएओ द्वारा पेंशन अदायगी आदेश के साथ इस वचन पत्र को पेंशन वितरक बैंक को अग्रेषित कर दिया जाए। पेंशन दस्तावेजों के साथ इस वचन पत्र के प्राप्त होते ही बैंक, पेंशनभोगी के खाते में पेंशन जमा कर दें।

4. अब पेंशनभोगी को पहली पेंशन का भुगतान शुरू कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन अदायगी आदेश की बैंक प्रति भेज दी गई है, पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति की अन्य देयताओं के साथ पेंशन अदायगी आदेश की पेंशनभोगी वाली प्रति भी सौंप दी जाए। यह उन सभी मामलों में व्यवहार्य होगा जिनमें पेंशनभोगी ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं।

5. यदि कोई कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से दूर किसी स्थान पर तैनात है या जो किसी अन्य कारणवश ऐसा मानता है कि उसे अपनी पीपीओ की प्रति बैंक से लेना अधिक सुविधाजनक होगा, तो वह अपने पेंशन कागजात जमा करते समय कार्यालयाध्यक्ष को अपने इस विकल्प के बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकता है।

6. महालेखा नियंत्रक कार्यालय से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया सभी वेतन एंव लेखा कार्यालयों और सभी पेंशन वितरक बैंको को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुपालन तथा पेंशन स्वीकृति और अदायगी प्रक्रिया एवं स्कीम पुस्तिका में यथोचित संशोधन करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया अब से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें। डाक एवं दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया लेखा अधिकारियों और पेंशन वितरक डाक घरों/बैंकों को दिए जाने वाले निर्देशों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने संबंधी यथोचित संशोधन करने का कष्ट करें।

(सोलंकी .के.डी)
(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सूची के अनुसार

2. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, 7वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली.

3. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-।।, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली्

4. व्यय विभाग (ई.वी शाखा को उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 के संदर्भ में), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

5. डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली

6. दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई 2014

सा.का.नि 355 (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

(क) नियम 5 के उपनियम (2) में "प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप 2 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप-2 में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 12 के परंतुक में, "प्ररुप 1 या प्ररुप 1-क में" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में या इन नियमों के प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ग) नियम 13 में,-

(i) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) कोई सरकारी सेवक जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है और पेंशन संदाय आदेश के जारी होने के समय पर प्राधिकृत होते हुए पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय की वांछा करता है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के कागज-पत्रों के साथ पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(3क) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक पेंशन के कागज-पत्रों और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 की प्रस्तुति के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन करने की वांछा करता है तो वह उसके लिए प्ररूप 1-क में आवेदन करेगा।

(3ख) उपनियम (3) या उपनियम (3क) के अधीन पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित के अध्यधीन होगा, अर्थात्:-

(क) सरकारी सेवक केवल अधिवर्षिता की पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है ;

(ख) इन नियमों के प्ररूप 1-क या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि यह अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को पहुंच सके;

(ग) ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से तीन मास से कम अवधि पहले प्राप्त होता है; और

(घ) सरकार, पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी यदि सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाती है या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व वह पेंशन के दावे को समपहृत करता है।''

(घ) नियम 15 के उपनियम (3) में,-

(i) खंड (क) में "प्ररूप 1-क" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररुप 5 या इन नियमों के प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (i) में, "प्ररूप 1-क" में शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररुप 5 या इन नियमों के प्ररूप 1-क में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) प्ररूप 1, प्ररूप 1-क और प्ररूप-2 में के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप ।

स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन

[नियम 5(2), 6(1), 12, 13, 14(1) और (2), 15(1) और (2) तथा 16 (1) और (2) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग 1

सेवा में,

.....

.....

(यहां कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय :- स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार नीचे यथा उपदर्शित अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...
2. पिता / पति का नाम ... ...
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...
4. कार्यालय/ विभाग/ मंत्रालय का नाम, जहां नियोजित था ... ...
5. जन्म की तारीख (ईसवी सन् में) ... ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है ... ...
8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता ... ...

उपदर्शित करें)

9. पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है ... ...

(i) संख्या

(ii) तारीख

(iii) उस लेखा अधिकारी का नाम जिसने पेंशन प्राधिकृत की है

10. बैंक के खाते का ब्यौरा जिसमें प्रत्येक मास मासिक पेंशन जमा की जा रही है :

(i) बैंक और शाखा का नाम

(ii) खाता संख्या

(iii) बीएसआर कोड,

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

भाग 2

पावती

श्री.....(नाम),.....से (पूर्व पदनाम), स्वास्थ्य परीक्षा के बिना ही पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1 के भाग ।में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

नोट - इस पावती पर हस्ताक्षर कर मोहर लगाई तथा उस पर तारीख डाली जाएगी और प्ररूप से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी। यदि प्ररूप डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकार किया जाएगा और पावती पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी।

भाग 3

लेखा अधिकारी.....(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि :-

(i) आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं,

(ii) आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के बिना ही अपनी पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण करने का पात्र है।

(iii) प्राधिकृत की गई पेंशन की रकम [यदि पेंशन की अंतिम रकम को प्राधिकृत नहीं किया गया है, तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64 के अधीन अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें]

(iv) वर्तमान में लागू सारणी के अनुसार संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान .....रू. होता है।

(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम.....रू. होगी।

2. अनुरोध किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 15 के अनुसार पेंशन के संराशीकृत मूल्य की रकम का संदाय प्राधिकृत करने के लिए आगे कार्रवाई की जाए।

3. प्ररूप के भाग 1 की पावती भाग 2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जिसे अलग से आवेदन को तारीख..... को अग्रेषित कर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

प्ररूप 1क

स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अधिवर्षिता पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप यदि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्ररूप 5 में इसके लिए आवेदन नहीं किया गया है

[नियम 5(2), 12, 13(3), (3क), (3ख), 14(1) और 15(3) देखिए]

(सेवानिवृत्ति के कम से कम तीन मास पूर्व दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग ।

सेवा में,

.....

.....

विषय : स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं -

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...
2. पिता/ पति का नाम ... ...
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...
4. कार्यालय/ विभाग / मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित है ... ...
5. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...
7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ है ... ...
8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें) ... ...
9. बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन जमा की

जाएगी :

(i) बैंक और शाखा का नाम :

(ii) खाता संख्या :

(iii) बीएसआर कोड :

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

भाग ॥

(पावती)

मैंने.....(नाम),.....(पदनाम), से स्वास्थ्य परीक्षा बिना ही पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 1क के भाग-। में आवेदन पत्र प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

टिप्पणी- यदि आवेदन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास के पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो यह पावती आवेदन से अलग करके आवेदक को सौंप दी जाएगी। यदि प्ररूप डाक से प्राप्त हुआ है तो वह उसी दिन अभिस्वीकृत किया जाएगा और पावती पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी। यदि यह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त होता है तो वह तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह उस तारीख को या उसके पूर्व डाक में डाला गया हो, और आवेदक को उस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

भाग III

लेखा अधिकारी .....(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) को इन टिप्पणियों के साथ अग्रेषित कि :-

(i) भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और वे सही हैं ;

(ii) आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संरांशीकरण करने के लिए पात्र है।

(iii) प्राधिकृत पेंशन की रकम (यदि पेंशन की अंतिम रकम प्राधिकृत नहीं की गई है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64 के अधीन अनुमोदित अनंतिम पेंशन की रकम उपदर्शित करें)

(iv) वर्तमान में लागू सारणी के संदर्भ में संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान.....रू. होता है

(v) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम .....रुपये होगी।

2. आवेदक के पेंशन संबंधी कागज पत्र जो सभी प्रकार से पूरे थे, इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के पत्र संख्या.....तारीख.....के अधीन अग्रेषित कर दिए गए थे। यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय पेंशन संदाय आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किया जा सकता है जो आवेदक की सेवानिवृत्ति से कम से कम एक मास पूर्व जारी किया जा सकता है।

3. इस प्ररूप के भाग-1 की प्राप्ति भाग-2 में अभिस्वीकृत कर दी गई है जिसे अलग से आवेदक को तारीख..... को अग्रेषित कर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

प्ररूप 2

नियम 18 में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

[नियम 5(2), नियम 9(3), नियम 13(2), नियम 14(2), नियम 19, नियम 20(1), (2) और (3) और नियम 21(1) तथा नियम 25(2) देखिए]

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग-1

फोटो के
लिए
स्थान

सेवा में,

.....

.....

.....

(यहां कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय :- स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन का संराशीकरण

महोदय,

मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं। मैंने आवेदन पर अपनी एक स्वप्रमाणित फोटो चिपका दी है और उसकी एक गैर अनुप्रमाणित फोटो संलग्न है। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं -

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ... ...

2. पिता/ पति का नाम ... ...

3. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ... ...

4. कार्यालय/ विभाग / मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित था ... ...

5. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...

6. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...

7. पेंशन का वर्ग जिस पर सेवानिवृत्त हुआ ... ...

8. संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मासिक पेंशन की प्रतिशतता (40% के बराबर या उससे कम प्रतिशतता उपदर्शित करें) ... ...

9. पेंशन संदाय आदेश के ब्यौरे, यदि जारी किया गया है

   (i) संख्या

   (ii) तारीख

   (iii) उस लेखा अधिकारी का पदनाम जिसने पेंशन प्राधिकृत की है

10. बैंक के खाते का ब्यौरा, जिसमें प्रतिमास मासिक पेंशन जमा की जा रही है :

    (i) बैंक और शाखा का नाम :

    (ii) खाता संख्या :

    (iii) बीएसआर कोड :

11. वह अनुमानित तारीख जिससे संराशीकरण की वांछा की गई है।

12. पहले से ही संराशीकरण पेंशन की रकम, यदि कोई है।

13. उस स्थान की वरीयता जहां स्वास्थ्य परीक्षा कराने के इच्छुक हैं

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : डाक का पता

टिप्पण : पेंशन के संराशीकरण मूल्य का संदाय उस संवितरक प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा जिससे पेंशन ली जा रही है।

भाग - II

पावती

मैंने, श्री/कुमारी/श्रीमती.....(नाम) .....(पूर्व पदनाम) स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण के लिए प्ररूप 2 के भाग 1 में आवेदन प्राप्त किया।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

भाग - III

लेखा अधिकारी.....(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें) इस टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि आवेदन के भाग 1 में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई हैं और सही हैं और आवेदक स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण कराने का पात्र है।

2. यह अनुरोध है कि प्ररूप के भाग 4 को पूरा करके यथासंभव शीघ्र इस कार्यालय को लौटा दिया जाए।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : कार्यालय अध्यक्ष

भाग - IV

(लेखा अधिकारी द्वारा पूरा किया जाए)

1. आवेदक का नाम ... ...

2. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) ... ...

3. सेवानिवृत्ति की तारीख ... ...

4. पेंशन की रकम, जिसके अंतर्गत अनंतिम पेंशन सम्मिलित की गई है, यदि अंतिम पेंशन प्राधिकृत नहीं है

5. पेंशन का वर्ग [केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का अध्याय 5 देखें]

6. उपर्युक्त मद 4 में से पेंशन की रकम, जिसे संराशीकृत कराने की इच्छा है

निम्नलिखित के आधार पर		
सामान्य आयु	जोड़ा गया एक वर्ष	जोड़े गए दो वर्ष
.....रू	.....रू.	.....रू.

7. (i) यदि संराशीकरण आवेदक के जन्म की अगली तारीख, जो.....है, के पूर्व अंतिम हो जाता है तो संदेय रकम जो..... को.....रू. हैं।

   (ii) यदि संराशीकरण आवेदक के जन्म की अगली तारीख के पश्चात् अंतिम हो जाता है, रकम.....रू.

8. संलग्नकों की संख्या, यदि कोई है

[नीचे टिप्पण देखें] ... ...

स्थान : लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख : प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालय अध्यक्ष

पूरा पता.....

टिप्पण यदि आवेदक को अशक्त पेंशन मंजूर की गई है या उसने तत्पूर्व अपना पेंशन के भाग का संराशीकरण किया है या वास्तविक आयु में जोड़े गए वर्षों के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से इंकार किया है या स्वास्थ्य के आधार पर संराशीकरण से इंकार किया गया है तो लेखा अधिकारी को प्ररूप के साथ आवेदक के मामले की रिपोर्ट या उसका विवरण संलग्न करना चाहिए।

[फा. सं. 42/22/2014-पी एंड पीडब्ल्यू (जी)]

(वंदना शर्मा)

संयुक्त सचिव

टिप्पण- केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का.आ. 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या 34/ 1/ 81 पेंशन इकाई तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित की गई और तत्पश्चात् पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई, अर्थात् :-

1. का.आ.1870, तारीख 04/05/1985
2. का.आ.2097, तारीख 18/05/1985
3. का.आ. 1775, तारीख 19/07/1997
4. का.आ. 918, तारीख 28/02/2002
5. का.आ. 1484(अ), तारीख 30/12/2003
6. का.आ. 2806, तारीख 09/11/2010
7. का.आ. 1964, तारीख 16 जून, 2012
8. सा.का.नि 236 (अ) तारीख 28/3/2014

सं -2014/4/20पी एंड पीडब्लू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत एवं ,पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
19 जून 2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962 के तहत फार्मों के संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कुछ समय से इस विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमावलियों के तहत पेंशन / सेवानिवृत्ति लाभों और नामांकन संबंधी फॉर्मों की समीक्षा कर रहा है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली और पेंशन की बकाया राशि का भुगतान (नामांकन) नियमावली के तहत फार्मों में संशोधन किया गया है और भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है, जो इस विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर उपलब्ध हैं।

3. सामान्य भविष्य निधि नियमावली और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के तहत फार्मों में संशोधन किया गया है और ये संशोधित फार्म यहां संलग्न हैं।

4. इस बात पर पुन: जोर दिया जाता है कि नियमों के तहत कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति या मुक्ति या बर्खास्तगी या सरकार के बाहर स्थायी स्थानांतरण पर शेष राशि के अंतिम भुगतान / राशि के स्थानांतरण के आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष, सरकारी सेवक से इसके लिए आवेदन करने को कहे बिना फार्म 1 में आवश्यक कार्रवाई करें। सामान्य / अंशदायी भविष्य निधि से निकासी के अन्य सभी मामलों में, अंशदाता फार्म 4 में आवेदन करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष भी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के भुगतान / स्थानान्तरण समय पर किए जाते हैं। सरकार पर ब्याज के भुगतान का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

5. इन फार्मों को दुबारा इस तरह तैयार किया गया है कि आहरण और संवितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यभक्ष और नियमों के तहत कोई अन्य प्राधिकारी, फार्मों पर अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकें और केवल उन विशेष मामलों को छोड़कर जहां तथ्यों के परीक्षण की जरूरत हो, नोट शीट पर अलग से किसी टिप्प्ण की जरूरत नहीं है।

6. सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि वे इन फार्मों का व्यापक प्रचार करें और आगे से इन फार्मों का उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें।

(तृप्ति पी घोष)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. महा लेखानियंत्रक, 7वां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।

फॉर्म 1

स्वायत्त निकायों / अन्य सरकारों के सामान्य / अंशदायी भविष्य निधि खाते में शेष राशि का अंतिम भुगतान / स्थानांतरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्म

श्री / श्रीमती / कु. ..... की वर्षवार विवरण द्वारा सत्यापित सामान्य भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या..... है।

2. वह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्तं होने वाले/वाली है / ..... महीनों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले गए/गई हैं / उन्हें सेवामुक्ति दे दी गई है/ बर्खास्त कर दिया गया है /..... में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है / उन्होंने अंतत: सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने निम्नलिखित अग्रिम लिए थे, जिनकी ..... रुपए प्रतिमाह की ..... किस्तें बकाया हैं।

अस्थायी अग्रिम की राशि	बकाया राशि
1	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....

4. चालू वित्त वर्ष में उन्हें मंजूर की गई धन निकासियों का ब्यौरा भी नीचे दिया गया है -

अंतिम निकासी की राशि	निकासी की तारीख
1	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....

5. उपर्युक्त निकासियों एवं अग्रिमों का समायोजन करने के बाद लेखा वही के अनुसार उनके भविष्य निधि खाते में ..... रुपए की राशि जमा है।

6. अभिलेखों की पुष्टि करने के बाद अंतिम भुगतान किया जा सकता है।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष

वेतन एवं लेखा कार्यालय ..... को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया।

फॉर्म 2

अंशदाता की मृत्यु पर भविष्य निधि खाते में शेष राशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन का फार्म

भाग - I

सेवा में

कार्यालयाध्यक्ष,

.....

.....

महोदय,

आपके दिनांक ..... के पत्र सं. ..... के संदर्भ में अनुरोध है कि कृपया श्री / श्रीमती/ कु. ..... के सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा राशि के भुगतान की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में आवश्यक विवरण नीचे दिया गया है -

1. **अंशदाता का नाम .....**
2. **अंशदाता द्वारा धारित पद .....**
3. **अंशदाता की मृत्यु की तिथि.....**
4. **अंशदाता को आवंटित भविष्य निधि खाता संख्या .....**
5. **यथालागू नीचे दिए गए 5 ए या 5 बी में जानकारी :-**

5 ए. अंशदाता की मृत्यु की तिथि पर परिवार के जीवित सदस्यों और नामितियों का विवरण:

नामिती/ परिवार के सदस्य का नाम और पता	नामिती/ परिवार के सदस्यर की जन्म तिथि	अंशदाता की मृत्यु के दिन पर नामित व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति	नामिती/ परिवार के सदस्यी का मृत अंशदाता के साथ संबंध	क्या वह नामिती है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

या

5 बी. यदि अंशदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ गया है और उसका कोई नामांकन नहीं हैं, तो उन व्य क्तियों के नाम, जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय है (इसके लिए वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए)

नाम और पते	अंशदाता के साथ संबंध	जन्म तिथि
(i)	.....	.....
(ii)	.....	.....
(iii)	.....	.....

6. यदि लाभार्थी अवयस्क है/हैं, तो अभिभावक का ब्यौरा –

नाम	जन्म तिथि	अवयस्क के साथ संबंध	मृत सरकारी सेवक के साथ संबंध	डाक का पता

नोट: किसी नाबालिग बच्चे के मामले में, यदि माँ (अंशदाता की विधवा) हिन्दू नहीं है, तो दावेदार, यथालागू एक क्षतिपूर्ति बांड, या अभिभावक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

7. दावेदार, विधिवत अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :

(क) फोटो

(ख) दो प्रतियों में नमूना हस्ताक्षर (साक्षर दावेदारों के मामले में)/अंगूठे या उंगली की छाप (निरक्षर दावेदारों के मामले में)

8. संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज:

(क) मृत्यु प्रमाण पत्र

(ख) वसीयत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, आदि की एक प्रति (जहां लागू हो)।

(ग) नियमानुसार दावेदार की पात्रता संबंधी कोई अन्य दस्तावेज

आपका

स्थान

तिथि

(अभिभावक सहित दावेदार के हस्ताक्षर)

(पूरा नाम और पता)

भाग।।

(कार्यालयाध्यकक्ष के उपयोग हेतु)

वेतन एवं लेखा अधिकारी .... को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित। ऊपर दिए गए ब्यौरों का विधिवत् सत्यापन कर लिया गया है।

2. श्री / श्रीमती/ कुमारी ..... का सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि खाता सं ..... है।

3. पिछली निधि कटौती उनके ..... माह के वेतन से दिनांक ..... के कार्यालय बिल क्रमांक ..... द्वारा.....रुपये (.....रुपये मात्र) की गई थी, की जा रही कटौती की राशि ..... रुपये और अग्रिम की वापसी के कारण की जा रही वसूली .....रुपये है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उनकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान उनके भविष्य निधि खाते से उन्हें न तो किसी अस्थायी अग्रिम न ही अंतिम निकासी की मंजूरी प्रदान की गई थी; या प्रमाणित किया जाता है कि उनकी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान उनके भविष्य निधि खाते से उन्हें निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम / अंतिम निकासी की मंजूरी प्रदान की गई थी और उनके भविष्य निधि खाते से निकासी की गई थी।

अग्रिम / निकासी की राशि और तारीख तारीख

(i) .....

(ii) .....

5. अंशदाता की मृत्यु के समय उसके भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि ..... रुपये है।

(कार्यालयाध्यकक्ष के हस्ताक्षर)

फार्म 3

सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन के लिए फार्म

1. अंशदाता का नाम ... ...
2. खाता संख्या (विभागीय अंतिम अक्षर के साथ) ... ...
3. (i) पदनाम
   (ii) अनुभाग / शाखा ... ...
4. मूल वेतन / (पे बैंड में वेतन + ग्रेड पे) ... ...
5. आवेदन के दिन अंशदाता के खाते में जमा राशि (यदि ज्ञात है) ... ...
6. क्या कोई अग्रिम बकाया है, यदि ऐसा है तो, अग्रिम किस प्रयोजन के लिए लिया गया था:
7. वांछित अग्रिम ..... रुपए
8. (क) किस प्रयोजन के लिए अग्रिम की आवश्यकता है ...
   (ख) यदि अग्रिम, गृह निर्माण आदि के लिए चाहिए तो, निम्नलिखित जानकारी दी जाए: - ...
   (i) प्लॉट का स्थान और माप ...
   (ii) क्या प्लॉट फ्रीहोल्ड है या पट्टे पर है ...
   (iii) निर्माण की योजना ...
   (iv) यदि फ्लैट या प्लाट किसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से खरीदा जा रहा है, तो सोसायटी का नाम, स्थान और माप, आदि ...
   (v) निर्माण की लागत ...
   (vi) यदि फ्लैट की खरीद डीडीए या किसी अन्य राज्य/शहर विकास प्राधिकरण या किसी भी हाउसिंग बोर्ड या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से की जा रही है, तो स्थान, माप, आदि का उल्ले,ख किया जाए ...
   (ग) यदि बच्चों की शिक्षा के लिए अग्रिम चाहिए, तो निम्नलिखित विवरण दिया जाए: -
      (i) पुत्र/पुत्री का नाम ...
      (ii) कक्षा और उस संस्था/कॉलेज का नाम जहां अध्ययनरत है ...
      (iii) क्या डे-स्कालर है या छात्रावास में रहता/रहती है ...

(घ) यदि अग्रिम परिवार के किसी बीमार सदस्य (सदस्यों) के इलाज के लिए चाहिए, तो निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए: -

(i) रोगी का नाम और उसके साथ संबंध ...

(ii) उस अस्पताल / औषधालय/ डॉक्टर का नाम जहां रोगी का उपचार चल रहा है ...

(iii) वह आउटडोर/ इनडोर रोगी है ...

(iv) प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं ... ...

नोट: - 8 (सी) एवं 8 (ई) के तहत लिए जाने वाले अग्रिम के मामले में, किसी प्रमाण-पत्र या दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता नहीं है।

9. मासिक किश्तों की संख्या जिनमें समेकित अग्रिम (मद 6 और 7 का योग) को चुकाया जाना प्रस्तावित है ..... किश्तें

10. (i) यदि अग्रिम, नियम 12 (1) में निर्धारित सीमा से अधिक है या यदि आवेदन की तारीख को अग्रिम बकाया है, तो उसके विशेष कारण

(ii) यदि नियम 12 (1) में उल्लिखित कारणों के अलावा अग्रिम का आवेदन किया गया है, तो विशेष परिस्थितियां

मैं प्रमाणित करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास ऊपर दिए गए ब्यौरे सही और पूर्ण हैं और यह कि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

भाग।।

(आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा राशि का ब्यौयरा नीचे दिया गया है: -

(i)	वर्ष ..... के विवरण के अनुसार अंतिम जमा शेष	..... रुपए
(ii)	मासिक अंशदान द्वारा ..... से ..... तक जमा	..... रुपए
(iii)	धन की वापसी	..... रुपए
(iv)	बकाया अग्रिम की राशि	..... रुपए
(v)	..... से ..... अवधि के दौरान निकासी	..... रुपए
(vi)	निवल जमा शेष	..... रुपए

2. वह प्रयोजन, जिसके लिए पिछली बार अग्रिम लिया गया था:

(हस्ताक्षर)
नाम और आहरण एवं संवितरण अधिकारी की मुहर

भाग ।।।

(प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन पर टिप्पणियाँ / सिफारिशें / आदेश

(हस्ताक्षर)

फार्म 3 ए

भविष्य निधि से अग्रिम की मंजूरी के लिए प्रोफॉर्मा

सं .....

..... मंत्रालय

सेवा में

लेखा अधिकारी

.....

.....

महोदय,

मुझे सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली, 1960 / अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962 के नियम ..... के तहत श्री..... (नाम और पदनाम) के खाता संख्याम..... से.....(कार्य) पर होने वाले व्यय के वहन हेतु ..... रुपए (.....रुपये मात्र) के अग्रिम की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व्यक्त करने का निदेश हुआ है।

2. इस अग्रिम की वसूली ..... रुपए की ..... मासिक किश्तों में ..... में देय .....महीने के वेतन से शुरू की जाएगी।
3. स्वीकृत अग्रिम .....रुपए में से .....रुपए (..... रुपये मात्र) की राशि ..... में स्वी कृत की गई और उन्हें समेकित राशि में निम्नवत भुगतान किया गया। स्वीकृत अग्रिम के साथ मिलकर यह राशि अब कुल .....रुपए होगी, जिसकी वसूली ..... रुपए की ..... मासिक किश्तों में ..... में देय .....महीने के वेतन से शुरू की जाएगी।
4. दिनांक.....को श्री..... के खाते में जमा शेष धनराशि का ब्यौरा निम्नवत है: -

(i) वर्ष..... की लेखा पर्ची के अनुसार शेष राशि	... रुपए
(ii) उसके बाद के जमा और ..... से ..... तक	... रुपए
प्रतिमाह की दर अग्रिम की वसूली	... रुपए
(iii) कॉलम (i) और (ii) का योग	... रुपए
(iv) उसके बाद निकासी और अग्रिम, यदि कोई हो	... रुपए
(v) मंजूरी की तारीख को जमा शेष (iii) - (iv)	... रुपए

5. यह दिनांक ..... के डायरी सं..... द्वारा ..... की सहमति से जारी किया जाता है।

स्वीकृति अधिकारी

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. आहरण और संवितरण अधिकारी।
2. श्री / श्रीमती। / कु. ..... आपका ध्याान जीपीएफ (सीएस) / सीपीएस (भारत) नियमावली के नियम 12 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि

धनराशि वितरण के तीन महीने के भीतर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें कि जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम स्वीणकृत किया गया था, उसके लिए उसका उपयोग कर लिया गया है।

3. स्वीकृति फ़ाइल।
4. वेतन एवं लेखा कार्यालय

फार्म 4

सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन के लिए प्रोफॉर्मा

1. अंशदाता के नाम ... ...
2. खाता संख्या (विभागीय अंतिम अक्षर (सफिक्सव) सहित ...
3. (क) पदनाम ... ...
   (ख) अनुभाग / शाखा ... ...
4. मूल वेतन / (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में वेतन) ... ...
5. सेवा में कार्यग्रहण करने की तारीख ...
6. सेवानिवृत्ति की तारीख ...
7. आवेदन के दिन अंशदाता के खाते में जमा राशि
8. (क) निकासी के लिए वांछित राशि ...
   (ख) क्याक आवेदन नियम 15 (1) (सी) के तहत,
   अर्थात् अधिवर्षिता की तारीख से एक वर्ष पूर्व किया गया है हां / नहीं
   (ग) यदि नहीं, तो वह प्रयोजन, जिसके लिए निकासी चाहिए
9. क्यार पहले कभी इसी प्रयोजन के लिए निकासी की गई थी।
   यदि हां, तो राशि और वर्ष का उल्ले ख करें

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

भाग।।

(कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा भरा जाए)

1. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(i)	वर्ष ..... के विवरण के अनुसार अंतिम जमा शेष	..... रुपए
(ii)	मासिक अंशदान द्वारा ..... से ..... तक जमा	..... रुपए
(iii)	धन की वापसी	..... रुपए
(iv)	बकाया अग्रिम की राशि	..... रुपए
(v)	..... से ..... अवधि के दौरान निकासी	..... रुपए
(vi)	निवल जमा शेष	..... रुपए

2. वह प्रयोजन, जिसके लिए अग्रिम लिया गया था:

3. प्रमाणित किया जाता है कि निकासी की राशि आवेदक के छह महीने के वेतन से या ..... निधि खाते में जमा/अंशदान के आधे से, जो भी कम हो/ आवेदक के निधि खाते में जमा राशि/अंशदान के तीन-चौथाई से अधिक है/नहीं है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक 10 वर्ष के भीतर अधिवर्षिता की आयु पूरी करने वाला है/ दिनांक..... को अपनी सरकारी सेवा के ..... वर्ष पूरा कर लिया है।

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा भविष्यथ निधि से निकासी सहित गृह निर्माण के लिए सभी सरकारी स्रोतों से आहरित कुल राशि, निर्माण और आवास मंत्रालय की गृह निर्माण के लिए दिए जाने वाले अग्रिम की योजना के नियम 2 (ए) और 3 (बी) के तहत समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

(हस्ताक्षर)

नाम और आहरण एवं संवितरण अधिकारी की मुहर

भाग ।।।

(प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन पर टिप्पणियाँ / सिफारिशें / आदेश

(हस्ताक्षर)

फार्म 4 ए

भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन के लिए प्रोफॉर्मा

सं .....

..... मंत्रालय

सेवा में

लेखा अधिकारी

.....

.....

महोदय,

मुझे सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली, 1960 के नियम ..... या अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962 के नियम ..... के तहत श्री..... (नाम और पदनाम) के खाता संख्या..... से.....(कार्य) पर होने वाले व्यय के वहन हेतु ..... रुपए (.....रुपये मात्र) की धन निकासी की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व्यक्त करने का निदेश हुआ है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली, 1960 में निकासी के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की गई हैं।

3. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(i)	वर्ष ..... के विवरण के अनुसार अंतिम जमा शेष	..... रुपए
(ii)	मासिक अंशदान द्वारा ..... से ..... तक जमा	..... रुपए
(iii)	धन की वापसी	..... रुपए
(iv)	बकाया अग्रिम की राशि	..... रुपए
(v)	.....से ..... अवधि के दौरान निकासी	..... रुपए
(vi)	निवल जमा शेष	..... रुपए

4. यह दिनांक ..... के डायरी सं..... द्वारा ..... की सहमति से जारी किया जाता है।

स्वीकृति अधिकारी

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. आहरण और संवितरण अधिकारी।
2. श्री / श्रीमती। / कु. ..... आपका ध्या.न जीपीएफ (सीएस) / सीपीएस (भारत) नियमावली के नियम 12 के उपबंधों की ओर आकृष्ट. किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि धनराशि वितरण के तीन महीने के भीतर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें कि जिस प्रयोजन के लिए धन निकासी की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसके लिए उसका उपयोग कर लिया गया है।
3. स्वीकृति फाइल
4. वेतन एवं लेखा कार्यालय

फार्म 5

अग्रिम का अंतिम निकासी में रूपांतरण के लिए आवेदन का प्रोफॉर्मा

1. अंशदाता का नाम ... ...
2. पदनाम और कार्यालय जिसके साथ संबद्ध है ...
3. वेतन बैंड में ग्रेड वेतन सहित, वेतन ... ...
4. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) / अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) खाता संख्या ...
5. आवेदन की तारीख को जमा शेष (जीपीएफ अंशदाता के मामले में उसके द्वारा अंशदान की वास्तीविक राशि और उस पर देय ब्याज) ...
6. (क) प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम लिया है ...
   (ख) अग्रिम के भुगतान की तारीख ...
   (ग) मंजूर अग्रिम की राशि ...
   (घ) वसूल अग्रिम की राशि ...
   (ड.) बकाया अग्रिम की राशि
   (च) लिए गए अग्रिम की राशि पर देय ब्याज ...
   (छ) अग्रिम की राशि जिसे निकासी में परिवर्तित किया जाना है ...
7. पत्राचार के ब्यौरे, जिसके तहत अग्रिम स्वीकृत किया गया था (स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न की जाए) ... ...
8. क्या पहले भी उपर्युक्तग प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम या अंतिम निकासी की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे ... ...
9. (क) इस आवेदन की तारीख पर सेवा व्यवधान अवधि, यदि कोई हो, सहित कुल सेवा
   (ख) अधिवर्षिता की तारीख ...

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

भाग।।

सत्या।पन किया जाता है कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सही हैं।

(हस्ताक्षर और डीडीओ का पदनाम)

भाग ।।।

(प्रशासनिक कार्यालय द्वारा भरे जाने हेतु)

भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन पर टिप्पणियाँ / सिफारिशें / आदेश

(हस्ताक्षर)

वेतन एवं लेखा अधिकारी

फार्म 5-ए

आदेश

सं..... दिनांक .....

सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली के नियम 16 / अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962 के नियम 17 के तहत..... कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी .... को दिनांक..... को स्वी.कृत ..... रुपए और ..... (प्रयोजन के लिए) बिल सं. ..... से आहरित ..... जीपीएफ / सीपीएफ अग्रिम की बकाया राशि ..... (रुपये .....मात्र) के अंतिम निकासी में रूपांतरण के लिए एतद्द्वारा ..... की स्वी.कृति व्य.क्त./प्रदान की जाती है।

(जीपीएफ / सीपीएफ खाता सं .....)

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
दिनांक .....

सं.....

प्रति अग्रेषित:

(i) वेतन एवं लेखा अधिकारी
(ii) संबंधित व्यनक्ति
(iii) सेवा पुस्तिका
(iv) .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 628(अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) चौथा संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-
(क) नियम 32 में,-
(i) पार्श्व शीर्षक में, "अथवा" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा ;
(ii) उप नियम (1) में, "या" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा ;
(iii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
"(1अ) सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए कार्यालय अध्यक्ष नियम 59 के खंड (क) में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।";
(ख) उक्त नियमों के नियम 56 में उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--
"(1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को ऐसे सभी सरकारी सेवकों की एक सूची तैयार कराएगा जो उस तारीख से अगले बारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की, यथास्थिति, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्तूबर तक, न कि उसके पश्चात्त्, संबध्द लेखा अधिकारी को दी जाएगी। "

(ग) उक्त नियमों के नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--
"57. कार्यालय अध्यक्ष ऐसे सरकारी सेवक, (जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है) जिसके कब्जे में कोई सरकारी आवास था या है, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में 'बेबाकी पत्र' जारी किए जाने के लिए लिखेगा। "

(घ) उक्त नियमों के नियम 58 में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"59. अधिवर्षिता पर पेंशन पत्रों की तैयारी के प्रक्रम - कार्यालय अध्यक्ष नियम 58 में निर्दिष्ट एक वर्ष की तैयारी की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात्:--

(क) पहला प्रक्रम. - सेवा का सत्यापन,-

(i) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 32 के अधीन सत्यापित सेवा की पश्चातवर्ती सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित हैं।

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह, यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, अप्रैल मास की वेतन पर्ची जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाता है, के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा।

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो वह कार्यालय अध्यक्ष जिसके अधीन सरकारी सेवक वर्तमान में सेवारत है उस सेवाकाल को सत्यापन के प्रयोजन के लिए उस कार्यालय अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा जहां सरकारी सेवक के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी।

(iv) उपखंड (iii) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर उस कार्यालय या विभाग में कार्यालय अध्यक्ष उपखंड (ii) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों को सत्यापित करेगा और ऐसे किसी निर्देश की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर निर्देश करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र भेजेगा :

परंतु सेवा की किसी अवधि के सत्यापित नहीं किए जा सकने की दशा में इसे निर्देश करने वाले कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में लाया जाएगा।

(v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समय के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी अवधि या अवधियों को पेंशन के लिए अर्हित समझा जाएगा।

(vi) यदि उसके पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष और अन्य संबंधित प्राधिकारी सेवा की किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना देने मे असफल रहे थे तो प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव ऐसी संसूचना नहीं दिए जाने का उत्तरदायित्व नियत करेगा।

(vii) उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) और उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पहले पूरी की जाएगी।

(viii) यदि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी सेवक को सादे कागज पर एक लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस

बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।

(ix) कार्यालय अध्यक्ष उपखंड (viii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिए गए तथ्य पर यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी सेवक की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है।

(x) यदि कोई सरकारी सेवक जानबूझकर ऐसी कोई गलत सूचना देता हुआ पाया जाता है या जाती है जो उसे किसी ऐसे फायदे का हकदार बनाती है जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं होता या होती तो इसका अर्थ गंभीर अवचार के रूप में लगाया जाएगा।

(ख) दूसरा प्रक्रम - सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति.-

(i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों को पता करेगा जिनका पेंशन के लिए परिलब्धियों और अर्हक सेवा के अवधारण से सीधा संबंध है।

(ii) खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सत्यापन को पूरा करने और उपखंड (i) में निर्दिष्ट लोपों, त्रुटियों और कमियों को पूरा करने की हर चेष्टा की जाएगी।

(iii) किन्हीं लोपों, त्रुटियों या कमियों की, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता और सेवा की ऐसी अवधियों की, जिनके बारे में सरकारी सेवक ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है तथा सेवा के उस प्रभाग की, जिसे सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है, जिसे खंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन के लिए अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा।

(iv) औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुध्दता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई हैं, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुध्दता का सत्यापन कर सकता है और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि का नहीं।

(ग) तीसरा प्रक्रम - दूसरे चरण के पूरे होते ही किंतु सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास के अपश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष -

(i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को पेंशन और उपदान के प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रस्तावित अर्हक सेवा की अवधि तथा सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन की गणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की बाबत प्रमाणपत्र देगा।

(ii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को, यदि उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां स्वीकार्य नहीं हैं, तो दो मास के भीतर उसके दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारण कार्यालय अध्यक्ष को देने का निदेश देगा।

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को प्ररूप 5, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व सभी प्रकार से सम्यक् रूप से पूरा करके कार्यालय अध्यक्ष को देने की सलाह देते हुए भेजेगा।"

(च) उक्त नियमों में, नियम 59 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''59-अ. अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाला कोई सरकारी सेवक, प्ररूप 5, उसकी सेवानिवृत्ति के पहले किन्तु, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् या सेवानिवृत्ति के प्रभावी हो जाने पर प्रस्तुत कर सकेगा।'';

(छ) उक्त नियमों में, नियम 60 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

''60. पेंशन पत्रों का पूरा किया जाना- नियम 59 के अधीन के मामलों में कार्यालय अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है, कम से कम चार मास पूर्व प्ररूप 7 के भाग 1 को पूरा करेगा और नियम 59अ के अधीन के मामलों में कार्यालय अध्यक्ष, प्ररूप 7 के भाग 1 को किसी सरकारी सेवक द्वारा प्ररूप 5 के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूरा करेगा।''

(ज) उक्त नियमों के नियम 61 में,-

(i) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् -

"(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पत्र किसी सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से भिन्न मामलों में, प्ररूप 5 के प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे।''

(झ) उक्त नियमों के नियम 62 में, "नियम 61 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

(ञ) उक्त नियमों के नियम 63 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् ''(1) नियम 71 में दिए गए सरकारी शोध्यों को परिनिश्चित और निर्धारित करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 8 में उनकी विशि31टियां लेखा अधिकारी को देगा।''

(ट) उक्त नियमों में, नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्- "64. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न कारणों के लिए अनंतिम पेंशन- (1) जहां नियम 59 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर भी, कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह संभव न हो कि नियम 61 में निर्दिष्ट पेंशन पत्र, उस नियम के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा अधिकारी को भेज सके या जहां पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे गए हों किन्तु पेंशन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को पेंशन संदाय आदेश और उपदान संदाय आदेश जारी करने के पूर्व, और अधिक जानकारी के लिए लौटा दिए गए हों और सरकारी सेवक का, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसकी पेंशन और उपदान या दोनों अंतिम रूप से निर्धारित और तय किए जाने के पूर्व सेवा निवृत्त होना संभाव्य हो, तो कार्यालय अध्यक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलभ्य हो और बिना विलंब के अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(2) अधिवर्षिता से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के किसी मामले में, प्ररूप 5 के प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने तक अनंतिम पेंशन और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान भी मंजूर करेगा।

(3) जहां पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न किसी कारण से नहीं किया जा सकता है तो कार्यालय अध्यक्ष-

(क) सरकारी सेवक को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी प्रति लेखा अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करते हुए पृष्ठांकित करेगा-

(i) अनंतिम पेंशन के रूप में पेंशन का सौ प्रतिशत छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित की जाएगी ; और

(ii) अनंतिम उपदान के रूप से उपदान का सौ प्रतिशत, जिसमें से उपदान का दस प्रतिशत विधारित किया जाएगा।

(ख) नियम 63 के उपनियम (1) के अधीन उपदान से वसूलीय रकम मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट करेगा और खंड (क) में निर्दिष्ट मंजूरी पत्र जारी किए जाने के पश्चात् कार्यलय अध्यक्ष-

(i) अनंतिम पेंशन की रकम ; और

(ii) अनंतिम उपदान की रकम, उसमें से खंड (क) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रकम नियम और 71 में विनिर्दिष्ट भोध्य, यदि कोई हो, घटाने के पश्चात्, स्थापन के वेतन और भत्ते आहरित करने की रीति से आहरित करेगा।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन संदेय अनंतिम पेंशन और उपदान की रकम का, यदि आवश्यक हो, अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पूरी करने पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) (क) अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से या सरकारी सेवक द्वारा प्ररूप 5 प्रस्तुत किए जाने की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा और यदि छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अंतिम उपदान की रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है तो लेखा अधिकारी-

(i) पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा ; और

(ii) कार्यालय अध्यक्ष को, सरकारी शोध्यों का, यदि कोई हों, जो अनंतिम उपदान का संदाय किए जाने के पश्चात् जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात् उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संदत्त अनंतिम उपदान की रकम और अंतिम उपदान के अंतर का आहरण और संवितरण करने का निदेश देगा।

(ख) यदि यह पाया जाए कि उपनियम (3) के अधीन सरकारी सेवक को संवितरित अनंतिम पेंशन की रकम उसके अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उस अधिक रकम को उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधारित उपदान में से समायोजित करे या अधिक रकम को भविष्य में संदेय पेंशन का कम संदाय करके, किस्तों में वसूल करे।

(ग) (i) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपनियम (3) के अधीन संवितरित की गई अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह वास्तव में उसको संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक संदाय के लिए जिम्मेदार पदधारी अतिसंदाय के देनदार होंगे।

(6) यदि उपनियम (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

(7) जैसे ही उपनियम (5) के खंड (क) या उपनियम (6) के अधीन पेंशन के संदाय का आदेश लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय अध्यक्ष उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधारित उपदान की रकम, उन सरकारी शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात्, जो उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात् जानकारी में आते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को दी जाएगी।

(8) यदि सरकारी सेवक सरकारी आवास-सुविधा का आबंटिती है या था तो विधारित राशि का प्रतिदाय संपदा निदेशालय से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर किया जाएगा।";

(ठ) उक्त नियमों के नियम 65 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) (क) नियम 61 में निर्दिष्ट पेंशन पत्रों की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग 2 में लेखा मुखांकन अभिलिखित करेगा और पेंशन, कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ख) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामलों में लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग 2 को पूरा करेगा, पेंशन, कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा, शोध्य निर्धारित करेगा और कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ग) लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश में सरकारी सेवक के पति या पत्नी का नाम, यदि जीवित हो, कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में उपदर्शित करेगा।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा नि:शक्त सहोदरों के नाम भी कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे नि:शक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदरों से पहले कुटुंब पेंशन संदेय हो।

(ङ) किसी विद्यमान पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के किसी आवेदन पर कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा नि:शक्त सहोदरों के नाम भी कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे नि:शक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदरों से पहले पेंशन संदेय हो।

(च) पेंशन संवितरण प्राधिकारी नियम 54 में उपदर्शित क्रम में नियम 81 के उपबंधों के अनुसार खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट कुटुंब के सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करेगा।

(ड) उक्त नियमों के नियम 66 के परंतुक में, "पांच सौ रुपए प्रतिमास से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ढ) उक्त नियमों के नियम 68 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) ऐसे सभी मामलों में, जहां उपदान का संदाय उस तारीख के पश्चात्, जब संदाय देय हुआ, किया जाता है, जिसके अंतर्गत अधिवर्षिता से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामले भी हैं, और यह स्पष्ट रूप से सिध्द हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है, तो समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार साधारण भविष्य निधि रकम पर लागू दर से ब्याज का संदाय किया जाएगा :

परंतु यह तब जब संदाय में विलंब सरकारी सेवक के पेंशन पत्रों को प्रक्रियागत करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने में सरकारी सेवक के असफल रहने के कारण नहीं हुआ हो।

(ii) उपनियम (2) में, "प्रशासनिक चूक" शब्दों के स्थान पर "प्रशासनिक कारणों या चूक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (4) में, "प्रशासनिक कार्यवाही करेगा जो" शब्दों के पश्चात् "प्रशासनिक चूक के कारण" अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ण) उक्त नियमों के नियम 70 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''(1-अ) इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या पुनरीक्षण लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक हो गया है या नहीं, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।''

(त) उक्त नियमों के नियम 72 में,-

(i) उपनियम (1) में, "आबंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "दो मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (4) में, "चार मास की" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(थ) उक्त नियमों के नियम 73 में, "दो वर्ष पूर्व, शोध्य" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष पूर्व, शोध्य" शब्द रखे जाएंगे।

(द) उक्त नियमों के नियम 77 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(3) जहां मृत सरकारी सेवक का कुटुंब नियम 54 के अधीन कुटुंब पेंशन का पात्र है, वहां कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 14 में दावा करने के लिए, यथास्थिति, कुटुंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 13 में लिखेगा।''

(ध) उक्त नियमों के नियम 80 में,-

(i) "मद 22, 23, 24, 25 और 26" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "मद 14, 21 और 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

(न) उक्त नियमों के नियम 80क के उपनियम (5) के परंतुक में, "दो सौ पचास रुपए से अनधिक (जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन पर राहत भी है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "तीन हजार पांच सौ रुपए और अनुज्ञेय मंहगाई राहत" शब्द रखे जाएंगे।

(प) उक्त नियमों के नियम 80ख में,-

(i) पार्श्व शीर्षक में, "अंतिम पेंशन" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम कुटुंब पेंशन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2-अ) लेखा अधिकारी कुटुंब के पहले पात्र सदस्य के लिए कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करते समय स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा नि:शक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे नि:शक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदरों से पहले कुटुंब पेंशन संदेय हो।";

(iii) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपनियम (6) में, "अंतिम पेंशन" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम कुटुंब पेंशन" शब्द रखे जाएंगे;

(फ) उक्त नियमों के नियम 80 ग के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (i) के उपखंड (छ) में, "उसकी मुत्यु की तारीख से चार मास की" शब्दों के स्थान पर, "उसके पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ix) कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपदान की विधारित रकम से समायोजन के पश्चात् असंदत्त शेष अनुज्ञप्ति फीस या नुकसानी की किसी रकम की वसूली, लेखा अधिकारी के माध्यम से कुटुंब पेंशनभोगी की सहमति के बिना मंहगाई राहत से करने का आदेश किया जा सकेगा और ऐसे मामलों में तब तक कोई मंहगाई राहत संवितरित नहीं की जाएगी जब तक ऐसे शोध्यों की पूरी वसूली न कर ली गई हो।";

(ब) उक्त नियमों के नियम 81 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"81. पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन और अवशिष्टीय उपदान की मंजूरी- (1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु या किसी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता की बाबत इत्तिला मिली हो तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन या अवशिष्टीय उपदान या दोनों और कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन संदेय है या नहीं और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित कार्यवाही करेगा।

(2) (क) (i) यदि मृत पेंशनभोगी की कोई विधवा या विधुर, जो नियम 54 के अधीन कुटंब पेंशन का पात्र है, उत्तरजीवी रहता है तो उसे कुटुंब पेंशन की रकम, जो पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है, पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से अगले दिन से, यथास्थिति, विधवा या विधुर को संदेय हो जाएगी।

(ii) पेंशन संवितरक प्राधिकारी विधवा या विधुर से प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर, यथास्थिति, विधवा या विधुर को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा :

परंतु प्ररूप 14 में किसी दावे की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि विधवा या विधुर पेंशनभोगी के साथ ऐसा संयुक्त खाता रखता था, जिसमें पेंशन जमा की जाती थी।

(iii) पेंशन संवितरक प्राधिकारी ऐसी विधवा या विधुर को, जिनसे प्ररूप 14 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है, कुटुंब पेंशन का संदाय पेंशनभोगी की मृत्यु की लिखित इत्तिला की प्राप्ति पर प्राधिकृत करेगा :

परंतु ऐसी विधवा या विधुर पेंशन संवितरक प्राधिकारी को मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और इस आशय का वचनबंध देगा कि कोई रकम, जिसकी या जिसका वह हकदार नहीं है या जो ऐसी रकम का आधिक्य उसके खाते में जमा किया जाए, जिसकी या जिसका वह हकदार नहीं है का प्रतिदाय किया जाएगा या उसकी पूर्ति की जाएगी।

(iv) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदरों मृत पेंशनभोगी के द्वारा उत्तरजीवी है, जिनके नाम पेंशन संदाय आदेश में नियम 65 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, तो पेंशन संवितरक प्राधिकारी प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर कुटुंब के ऐसे सदस्य को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा जो नियम 54 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है।

(v) जहां पति या पत्नी और स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदर मृत पेंशनभोगी के उत्तरजीवी हैं, जिनके नाम पहले के पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित नहीं किए गए थे तो लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उनके नाम कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना की प्राप्ति पर सम्मिलित करेगा।

(vi) पेंशन संवितरक प्राधिकारी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर और प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर किसी स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदर जिसका नाम पेंशन संदाय आदेश कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में सम्मिलित किया गया है और जो नियम 54 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा।

(ख) (i) जहां पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब के किसी सदस्य का नाम सम्मिलत नहीं है या जहां कार्यालय अध्यक्ष की यह राय है कि नियम 54 के उपबंधों के अनुसार मृत पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कुटुंब पेंशन कुटुंब के उन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को संदेय हो गई है जिनके नाम नियम 65 के उपनियम (1) या खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (iv) के अधीन पेंशन संदेय आदेश में सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशनभोगी के कुटुंब का सदस्य हो गया है तो वह प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर, यथास्थिति, प्ररूप 20 या प्ररूप 21 में कुटुंब के ऐसे सदस्य को कुटुंब पेंशन मंजूर करेगा जिसको कुटुंब पेंशन संदेय हो गई है।

(ii) यदि उपखंड (i) के अधीन कुटुंब पेंशन मंजूर की गई है तो कार्यालय अध्यक्ष किसी भी स्थायी रूप से नि:शक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा नि:शक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में सम्मिलित करेगा, यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे नि:शक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या नि:शक्त सहोदरों से पहले पेंशन संदेय हो गई हो।

(3) (i) जहां कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाली कोई विधवा या विधुर पुनर्विवाह करतीकरता है और पुनर्विवाह के समय उसके मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी से बालक है या हैं, जो कुटुंब पेंशन

का/के पात्र है या हैं तो पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों की ओर से कुटुंब पेंशन लेने का/की पात्र होगा/होगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक बना रहता/बनी रहती है।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए पुनर्विवाहित व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 14 में आवेदन इस घोषणा के साथ करेंगे कि आवेदक ऐसे बालक/बालकों का/की संरक्षक बना रहा/बनी रही है।

(iii) यदि पुनर्विवाहित व्यक्ति किसी भी कारण से ऐसे बालक या बालकों काकी संरक्षक नहीं रहतारहती है, तो कुटुंब पेंशन ऐसे बालक या बालकों के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संरक्षक के रूप में कार्य करने के हकदार व्यक्ति को संदेय हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष को कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए प्ररूप 14 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति कोई अवयस्क है या मानसिक रूप से विच्छृंखलता या नि:शक्तता से ग्रसित है या मंदबुध्दि है तो संरक्षक ऐसे व्यक्ति की ओर से प्ररूप 14 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(5) जहां किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की मृत्यु पर कोई अवशिष्टीय उपदान नियम 50 के उपनियम (2) के अधीन मृतक के कुटुंब को संदेय हो जाए वहां कार्यालय अध्यक्ष, अवशि¬टीय उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों से प्ररूप 22 में कोई दावा या दावे प्राप्त करने पर, उसके संदाय मंजूर करेगा।''

(भ) प्ररूप 5 में, "उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर "सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(म) प्ररूप 14 में,-

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सरकारी सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु पर या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप"

(ii) मद 1 की उपमद (iv) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(iv) सरकारी सेवक पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता की तारीख।''

[फा0सं0 1192013-पीएंडपीडब्ल्यू(ई)]

(वंदना शर्मा)
संयुक्त सचिव

टिप्पणीममूल निय - भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड)i) में का0आ0 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित किए गए थे। जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात् :--

1. का0आ0 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का0आ0 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का0आ0 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का0आ0 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990

5. का0आ0 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का0आ0 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का0आ0 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990
8. का0आ0 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990
9. का0आ0 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990
10. काआ0 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का0आ0 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का0आ0 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का0आ0 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा0का0नि0 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा0का0नि0 39, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा0का0नि0 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा0का0नि0 570, तारीख 19 दिसंबर, 1992
18. का0आ0 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का0आ0 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा0का0नि0 449, तारीख 11 सितंबर, 1993
21. का0आ0 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा0का0नि0 389(अ(, तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का0आ0 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का0आ0 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का0आ0 904(अ(, तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का0आ0 717(अ(, तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा0का0नि0 75(अ(, तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का0आ0 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002
29. का0आ0 860(अ(, तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का0आ01483(अ(, तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का0आ0 1487(अ(, तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा0का0नि0 723(अ(, तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का0आ0 1821(अ(, तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34. सा0का0नि0 258(अ(, तारीख 31 मार्च, 2008
35. का0आ0 1028(अ(, तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का0आ0829(अ(, तारीख 12 अप्रैल, 2010
37. सा0का0नि0 176, तारीख 11 जून, 2011
38. सा0का0नि0 928(अ(, तारीख 26 दिसंबर, 2012
39. सा0का0नि0 938(अ(, तारीख 27 दिसंबर, 2012
40. सा0का0नि0 103(अ(, तारीख 21 फरवरी, 2014
41. सा0का0नि0 138(अ(, तारीख 3 मार्च, 2014
42. सा0का0नि0 233(अ(, तारीख 28 मार्च, 2014

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्डय पी डब्यूं (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:29 सितंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीककृति - संशोधित दर दिनांक 1.7.2014 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्डं पी डब्यू(जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1.7.2014 से मौजूदा 100% से बढ़ाकर 107% कर दी जाएगी।

2. ये आदेश (i) केन्द्रीय सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्बई पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्बक पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं, किंतु जिन्हें पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्त हो रही है, तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एण्ड पी डबल्यू(बी) के साथ पठित दिनांक 23.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23/1/97-पी एण्ड पी डबल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे।

3. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन होने पर एकमुश्त् धनराशि आहरित किया था, तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्तअ करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.7.2014 से 107% की दर से महंगाई राहत के भुगतान के हकदार होंगे। इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का. ज्ञापन सं. 4/29/99-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) में निहित अनुदेश देखें।

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

5. नौकरीपेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा केन्द्र सरकार के पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्यत प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/73/97-पी एण्ड पी डबल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथासंशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/88/2008-पी एण्ड9 पी डब्ल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे। जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महँगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेंदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी।

8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं. 528-टी ए,।।/34-80-।। तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं. जीएएनबी सं. 2958/जी ए-64 (ii) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 26 सितंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/ई V/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार।
पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्तख आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट http://pensionersportal.gov.in देखें।

सं. 1/18/01- पी एंड पीडब्यूल (ई) (खंड. II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 30 सितंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के अंतर्गत कुटुंब पेंशन पाने के उद्देश्य से नि:शक्तकता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी/ बोर्ड।

अधोहस्ता:क्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 (6) में संशोधन किया गया था, जिसके तहत नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी में परिवर्तन कर ''चिकित्साधिकारी, जो 'सिविल सर्जन के स्तर के नीचे का न हो'' के स्थान पर 'चिकित्सा बोर्ड, जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अथवा प्रमुख अथवा उनके द्वारा नामित अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम एक को मानसिक मंदता सहित मानसिक अथवा शारीरिक नि:शक्तअता के किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो, शामिल हो'' कर दिया गया था।

2. उपर्युक्त संशोधन, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के अनुसरण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18 फरवरी, 2002 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया गया था।

3. तत्पश्चात्, नि:शक्त व्यंक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.06.2010 की अधिसूचना संख्यार एस.13020/1/2010 के तहत जारी दिशानिर्देश के अनुसार बहु-नि:शक्तता से इतर अन्य मामलों में चिकित्सा बोर्ड की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंर्तगत कुटुंब पेंशन प्रदान करने के लिए नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऊपर पैरा 3 में संदर्भित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निदेशों में उल्लेख किए गए अनुसार होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि पूर्व के मामलों के लिए या तो दिनांक 18.06.2010 के दिशानिदेशों के अनुसरण

अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 (6) के अनुसरण में जारी किए निशक्तता प्रमाण पत्र को स्वीकृत किया जाएगा।

(डी के सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन : 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/ पेंशनभोगी संघ।
2. महालेखा नियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
4. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-।।, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

सं. 38/31/11- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (खंड. IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 14 अक्तूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन -सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का दिनांक 1.1.1996 से समावेशन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/10/98- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) में यह प्रबंध किया गया है कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना सभी पेंशनभोगियों का पेंशन, दिनांक 1.1.1996 से लागू न्यूनतम संशोधित वेतनमान के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इस विभाग के दिनांक 29.10.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/3/99-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) में, यह स्पष्ट किया गया था कि सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारी के मामलें में प्रैक्टिस -बंदी भत्ते को दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क्रमश: 50 प्रतिशत / 30 प्रतिशत के समेकित पेंशन/ कुटुंब पेंशन दिनांक 1.1.1996 से बढ़ाने के लिए न्यूनतम संशोधित वेतनमान में शामिल नहीं किया जाएगा।

2. दिनांक 27.11.2013 के सिविल अपील सं. 10640-46/2013 के फैसले में और अन्य संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के दिनांक 07.04.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45012/11/97-सीएचएस.V के अनुसार प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) की गणना सेवानिवृति लाभों सहित वेतन और सेवा लाभों में की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि इस विभाग द्वारा दिनांक 29.10.1999 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी स्पष्टीकरण कानूनी तौर पर टिकने योग्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि आवेदको को दी जाने वाली पेंशन का प्रैक्टिस-बंदी भत्ता जोड़कर पुनर्निर्धारण किया जाए। सरकार द्वारा इस निर्णय के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2014 को खारिज कर दिया गया।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के परामर्श से अब सी ए संख्या 10640-46/2013 और अन्य संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.11.2013 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ऐसे मामलो मे जहां दिनांक 11.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) के साथ पठित दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/10/98-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) के अनुसार न्यूनतम संशोधित वेतनमान के क्रमश: 50 प्रतिशत/ 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के मामले में वर्ष

1996 से पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, के संगत दिनांक 1.1.1996 को न्यूनतम संशोधित वेतनमान मे 25 प्रतिशत की दर पर एनपीए शामिल किया जाए।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन से उनके दिनांक 29.9.2014 के आई.डी सं. 518/इ-वी/2014 के अनुसार जारी किया जाता है।

(तृप्ति पी.घोष)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक/ रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू पी (जी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:20 अक्तूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्यप निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.07.2014 से महंगाई राहत की स्वीकृति।

इस विभाग के दिनांक 07 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) के अनुक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी निम्निलिखित को दिनांक 1.7.2014 से 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की दरों पर मंहगाई राहत की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्ता हुए हैं और जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) के तहत 1.11.1997 से 600/- रु. प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा संशोधित कर, समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000/- रु., 1000/- रु., 750/- रु. और 650/- रु. कर दिया गया है, वे 1.7.2014 से 212% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(ii) निम्नुलिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी जो इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) की शर्तों के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.7.2014 से 204% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(क) दिनांक 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए 1.1.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और आश्रित संतानें, जिन्हें 605/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से संशोधित कर 645/- रु. कर दिया गया है।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, और जिन्हें 654/- रु., 659/- रु., 703/- रु. और 965/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित लाभार्थियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

3. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/ई V/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक मानक डाक सूची के अनुसार

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट http://pensionersportal.gov.in देखें।

सं. 38/31/11- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (खंड. IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 21 अक्तूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन - सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का दिनांक 1.1.1996 से समावेशन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 के समसख्यंक कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां समेकित पेंशन/ कुटुंब पेंशन को दिनांक 11.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) के साथ पठित दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/10/98-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) के अनुसार न्यूनतम संशोधित वेतनमान के क्रमश: 50 प्रतिशत/ 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत चिकित्सा अधिकारियों के मामले में दिनांक 1.1.1996 को न्यूनतम संशोधित वेतनमान में वर्ष 1996 से पूर्व वेतनमान के संगत, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, 25 प्रतिशत की दर पर एन पी ए शामिल किया जाएगा।

2. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद, वर्ष 1996 से स्वीकार्य अधिकतम पेंशन, अधिकतम वेतन अर्थात् 15,000/- रूपए का 50 प्रतिशत था जो केन्द्रीय सरकार पर लागू था। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 14.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार देय अधिकतम पेंशन दिनांक 1.1.1996 से 30,000/- का 50 प्रतिशत अर्थात 15000/- रूपए होगी। दिनांक 14.10. 2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के मामले में 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में संशोधन करते हुए यह ध्यान में रखा जाए।

(तृप्ति पी.घोष)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक/ रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय

सं. 4/25/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भावन, खान मार्केट
नई दिल्ली-110003
दिनांक 19 नवम्बर, 2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में न रहने वाले केंद्र के पेंशनभागियों को निश्चित चिकिसा भत्ता दिया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ता केंद्र सरकार के उन पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को, उनके दिन-प्रतिदिन के ऐसे चिकित्सा व्यय, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, पूरा करने के लिए दिया जाता है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संचालित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सदृश स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। इस विभाग के दिनांक 26.05.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत निश्चित चिकित्सा भत्ते की राशि दिनांक 01.09.2008 से 100 रूपए से बढ़ाकर 300 रूपए प्रतिमाह करने के आदेश जारी किए गए थे।

2. निश्चित चिकित्सा भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग पर सरकार पिछले कुछ समय से विचार कर रही थी। निश्चित चिकित्सा भत्ते की राशि 300 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रतिमाह करने को राष्ट्रपति की मंजूरी एतद्वारा सूचित की जाती है। निश्चित चिकित्सा भत्ता दिए जाने की अन्य शर्तें इस विभाग के दिनांक 19.12.97, 24.8.98, 30.12.98 तथा 18.8.99 के कार्यालय ज्ञापनों सं. 45/57/97-पी एंड पीडब्ल्यू (सी) में दिए गए अनुसार ही रहेंगी।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 22.10.2014 की अंतर्विभागीय टिप्पणी सं. 588/ई.V./2014 द्वारा दी गई सम्मति तथा महालेखा परीक्षक के दिनांक 12.11.2014 के यूओ सं. 174 स्टाफ (नियमावली)/02-2011 के तहत उनके परामर्श से जारी किए गए हैं।

(हरजीत सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग (डाक प्रेषण सूची के अनुसार)
प्रति प्रेषित :

1. मुख्य नियंत्रक, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 को इस अनुरोध सहित कि उपरोक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए पेंशन देने वाले बैंको को उपयुक्त निदेश जारी कर दें।
2. एनआईसी को डीओपी एंड पीडब्ल्यू की बेवसाइट www.pensionersportal.gov.in पर 'circulars' शीर्ष तथा 'Fixed Medical Allowance' उप शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित करने के लिए।

सं. 45/3/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 20 नवंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवाकाल में मृत्यु और नि:शक्तता के मामलों में विशेष लाभ- 2006 से पूर्व के नि:शक्तता पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों की नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जो पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत दिनांक 01.01.2006 को पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उनकी पेंशन/ कुटुंब पेंशन को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुसार संशोधित किया जाना था। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 30 सितंबर, 2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत आने वाले पूर्व पेंशनभोगियों की नि:शक्तता पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए संशोधित समता का लाभ प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2. इसके अलावा, इस विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 2013 के का. ज्ञा. सं. 38/37/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) द्वारा, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर पेंशनभोगी की सामान्य पेंशन/कुटुंब पेंशन को बढ़ाकर उसके संशोधन पूर्व वेतनमान, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है, के तदनुरूपी वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड-वेतन के 50%/30% के बराबर करने के आदेश जारी किए गए थे। केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत आने वाले 2006 से पूर्व के नि:शक्तता पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों तक भी इस लाभ का विस्तार किए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन था। अब यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत आने वाले 2006 से पूर्व के नि:शक्तता पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में निम्नवत् अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी : –

I. <u>श्रेणी ख एवं ग की कुटुंब पेंशन</u>

(क) जहां दिवंगत सरकारी सेवक पेंशनयोग्य पद पर नहीं था :

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड वेतन का 40% (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी अर्थात एचएजी वेतनमान से नीचे के मामले में)/ एचएजी और ऊपर के मामले में वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन, किंतु न्यूनतम 4550/- रूपए।

(ख) जहां दिवंगत सरकारी सेवक पेंशनयोग्य पद पर था :

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड वेतन का 60% (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी अर्थात एचएजी वेतनमान से नीचे के मामले में)/ एचएजी और ऊपर के मामले में वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन, किंतु न्यूनतम 7000/- रूपए।

ऐसे मामले में जहां विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पुन: विवाह कर लेती है, तो बच्चों को यथालागू उपर्युक्त (क) या (ख) में उल्लिखित दरों पर कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जाएगा, और पिताहीन/माताहीन बच्चों पर भी वही दर लागू होगी। दोनो ही मामलों में, बच्चों को उसी अवधि के लिए कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत पात्र होते। आश्रित माता-पिता/भाइयों/बहनों आदि को विधवा/पिताहीन या माताहीन बच्चों को देय पेंशन की आधी दर पर कुटुंब पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

II. <u>श्रेणी घ एवं ड. की कुटुंब पेंशन</u>

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन से कुटुंब पेंशन की गणना की जाएगी।

(क) यदि सरकारी सेवक की विधवा जीवित नहीं है लेकिन केवल उसका बच्चा/बच्चे जीवित हैं तो सभी बच्चे मिलाकर, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन के 60% की दर से, और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतन मान के तदुनुरूपी दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन, किंतु न्यूनतम 7000/- रूपए कुटुंब पेंशन के पात्र होंगे।

(ख) जब सरकारी सेवक की अविवाहित या संतानहीन विधुर के रूप में मृत्यु हो जाती है, तो आर्थिक हालात पर ध्यान दिए बिना, यदि माता और पिता दोनों जीवित हैं तो माता-पिता को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन के 75% की दर से और यदि उनमें से केवल एक जीवित है तो 60% की दर से, और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतन मान के तदुनुरूपी दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के बराबर कुटुंब पेंशन देय होगी।

III. <u>श्रेणी ख एवं ग की नि:शक्तता पेंशन</u>

(क) 100% नि:शक्तता के मामले में, नि:शक्तता पेंशन में, एचएजी से नीचे के वेतनमान के मामले में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण

तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन का 50%/ एचएजी और ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतन मान के तदुनुरूपी दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के बराबर सेवा घटक, जो आनुपातिक तौर पर घटाया जाएगा, यदि कर्मचारी ने पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा पूरी नहीं की है, और उसी मूल वेतन का 30% नि:शक्तता घटक के रूप में शामिल होंगे।

(ख) 100% से कम नि:शक्तता के मामले में, नि:शक्तता घटक को आनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा। ऐसे नि:शक्तता पेंशन के मामलों में जहां स्थायी नि:शक्तता 60% से कम नहीं है, नि:शक्तता पेंशन (अर्थात् सेवा घटक और नि:शक्तता घटक का कुल योग), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर एचएजी से नीचे के वेतनमान के मामले में वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन के 60% और एचएजी और ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतन मान के तदुनुरूपी न्यूनतम मूल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए, किंतु वह न्यूनतम 7000/- रूपए प्रतिमाह होना चाहिए।

IV. <u>श्रेणी घ की नि:शक्तता पेंशन</u>

(क) 100% नि:शक्तता के लिए, नि:शक्तता पेंशन के अंतर्गत, एचएजी से नीचे वेतनमान के मामले में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन का 50% और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी वेतन बैंड में दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के बराबर सेवा घटक, किंतु यदि सेवानिवृत्ति की नियत तिथि तक पूर्ण अर्हक सेवा कम रह गई है, तो उसे आनुपातिक तौर पर घटाया जाएगा, और एचएजी से नीचे वेतनमान के मामले में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर उसी वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन का 30% एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी वेतन बैंड में दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के बराबर नि:शक्तता घटक के रूप में शामिल होंगे, बशर्ते सेवा घटक और नि:शक्तता घटक का योग वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन के 80% से और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी वेतन बैंड में दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन से कम नहीं होगा।

(ख) 100% से कम नि:शक्तता के लिए, दिनांक 18.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/3/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (एफ) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 3.2.2000 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नि:शक्तता घटक में आनुपातिक कमी की जाएगी।

V. <u>श्रेणी ड. की नि:शक्तता पेंशन</u>

(क) 100% नि:शक्तता के लिए, नि:शक्तता पेंशन के अंतर्गत, एचएजी से नीचे वेतनमान के मामले में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन का 50% और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी वेतन बैंड में दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के बराबर सेवा घटक, किंतु यदि सेवानिवृत्ति की नियत तिथि तक पूर्ण अर्हक सेवा कम रह गई है, तो उसे आनुपातिक तौर पर घटाया जाएगा, और एचएजी से नीचे वेतनमान के मामले में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में अनुलग्न निर्धारण तालिकाओं (फिटमेंट टेबल्स) के आधार पर उसी वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन जमा ग्रेड वेतन के बराबर और एचएजी और उससे ऊपर के मामले में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदुनुरूपी वेतन बैंड में दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के बराबर नि:शक्तता घटक के रूप में शामिल होंगे।

(ख) 100% से कम नि:शक्तता के लिए, दिनांक 18.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/3/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (एफ) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 3.2.2000 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नि:शक्तता घटक में आनुपातिक कमी की जाएगी।

3. यदि दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के पैरा 4.1 के अनुसार गणनी की गई नि:शक्तता पेंशन/ कुटुंब पेंशन, उपर्युक्त तरीके से गणना की गई नि:शक्तता पेंशन/ कुटुंब पेंशन से अधिक है, तो आगे भी उसी (अधिक समेकित नि:शक्तता पेंशन/ कुटुंब पेंशन) को मूल नि:शक्तता पेंशन/ कुटुंब पेंशन माना जाएगा।

4. ये आदेश दिनांक 24.9.2012 से प्रवृत्त होंगे। दिनांक 1.1.2006 से 23.9.2012 की अवधि के दौरान भुगतान की गई नि:शक्तता पेंशन/ कुटुंब पेंशन की संशोधित राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अत: उस अवधि के लिए इन आदेशों के आधार पर किसी बकाए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. दिनांक 18.11.2008 और दिनांक 30.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/3/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 3.2.2000 के कार्यालय ज्ञापन की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें यथावत् बनी रहेंगी।

6. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 3.9.2014 के आईडी सं. 481/ई V/2014 द्वारा जारी किया जाता है।

7. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के उपरांत जारी किए जाते हैं।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा कार्यालयों और अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर इन आदेशों की जानकारी प्रदान करें। सभी पेंशन वितरक अधिकारियों को भी सुझाव दिया जाता है कि वे नि:शक्तता पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के लाभ के लिए इन आदेशों को अपने सूचना पट्टों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

(तृप्ति पी घोष)
निदेशक
दूरभाष: 24624802

सेवा में

मानक परिचालन सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि: राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

सं. 7/3/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 2 दिसंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अवयस्क को देय उपदान का भुगतान किए जाने के संबंध में।

मौजूदा निर्देशों के अनुसार, नैसर्गिक अभिभावक के नहीं होने पर संरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना अभिभावक को मृत्यु उपदान के एक अंश का भुगतान कर दिया जाता है। मौजूदा आदेशों के अनुसार, नैसर्गिक अभिभावक के नहीं होने पर, किसी औपचारिक संरक्षण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना किंतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, उसके अभिभावक को 10,000/- रुपये (या जब धनराशि 10,000/- रुपये से अधिक है, तो 10,000/- रुपये का आरंभिक भुगतान कर दिया जाता है।

2. उपर्युक्त मामले की समीक्षा की गई है और उपर्युक्त आदेशों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नैसर्गिक अभिभावक के नहीं होने पर, किसी औपचारिक संरक्षण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना किंतु उपयुक्त प्रतिभूति सहित एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, उसके अभिभावक को अवयस्क के मृत्यु उपदान का 20% तक या 1.50 लाख रुपये, जो भी कम हो का भुगतान कर दिया जाए। 20% या 1.50 लाख रुपये से अधिक की शेष राशि संरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर देय होगी।

3. हालांकि, यह जरूरी है कि उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार, दावा करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार होना चाहिए। ऐसा आधार तभी बनता है जब घोषणापत्र द्वारा उसका वास्तविक अभिभावक होना प्रदर्शित होता है और उसकी नेकनीयती का पता लगा लिया जाता है। हालांकि यदि न्यायालय द्वारा कोई अभिभावक नियुक्त नहीं किया गया है, और अवयस्क और उसकी संपत्ति किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में है तो वह व्यक्ति कानूनन वास्तविक अभिभावक होता है। इसलिए भुगतान करने वाले प्राधिकारी अवयस्क की ओर से दावा करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करें कि वह एक फार्म द्वारा उन को संतुष्ट करें कि अवयस्क की ओर से भुगतान का दावा करने वाला व्यक्ति ही अवयस्क की संपत्ति का प्रभारी है और उसकी देखभाल कर रहा है और यदि अवयस्क के पास उपदान के अलावा कोई संपत्ति नहीं है, तो अवयस्क उसकी अभिरक्षा और देखभाल में होता है। यह फार्म, उपयुक्त प्रतिभूति सहित क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अतिरिक्त प्रस्तुत करना होता है।

4. अवयस्क (अवयस्कों) के वास्तविक अभिभावक द्वारा 1.50 लाख रूपए या 20% तक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान राशि, जो भी कम हो, के भुगतान के लिए आवश्यक क्षतपूर्ति बंधपत्र को संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. यह निर्णय लिया गया है कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अत: किसी टिकाऊ सादे कागज पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. क्षतिपूर्ति बंधपत्र पर प्रतिज्ञाकर्ता और जमानतकर्ता/ जमानकर्ताओं या मुख्तारनामा द्वारा नियुक्त उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 229(1) के तहत विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

7. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के उपरांत जारी किए गए हैं।

8. यह व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 04.07.2014 के आईडी नोट सं. 359/ई.V./2014 के अनुसार जारी किया जाता है।

(तृप्ति पी घोष)
निदेशक
दूरभाष: 24624802

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क)..... जो दिवंगत (ग)..... की/के.....(विधवा/पुत्र/ भाई, इत्यादि) हैं और ..... के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'निष्पादक' कहा जाएगा) और (घ) ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री और ..... के निवासी हैं और ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री और ..... के निवासी हैं, जो निष्पादक के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और कोई संकोच किए बिना सरकार को वास्तव में देय .....रूपए (.....रूपए मात्र) की धनराशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंध पत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..... माह .....दो हजार ..... को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) दिवंगत..... अपनी मृत्यु के समय सरकारी सेवा में था/ सरकार से प्रतिमाह .....रूपए (..... रूपए मात्र) की दर से पेंशन प्राप्तम कर रहा था।

और जबकि उक्त (ग).....की मृत्यु दिनांक ..... माह..... 20..... को हुई तथा मृत्यु के समय उसके अवयस्क पुत्र/पुत्री के लिए .....रूपए (..... रूपए मात्र) मृत्यु / सेवानिवृत्ति उपदान देय था।

और जबकि निष्पादक उक्त (ग) ..... के अवयस्क बेटे / बेटी के वास्तविक अभिभावक होने के नाते उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा करता है परन्तु अब तक, कथित अवयस्क (अवयस्कों) के सबंध में किसी सक्षम न्यायलय से अभिभावक होने का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।

और जबकि निष्पादक ने (ड)..... को संतुष्ट कर दिया है कि वह उक्त धनराशि पाने का हकदार है और यह कि यदि निष्पादक को सक्षम न्यायालय से अभिभावक होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है तो यह उक्त .....रूपए की राशि के भुगतान से पहले उसके लिए अनुचित देरी और कठिनाई पैदा करेगा।

और जबकि सरकारी नियमों और आदेशों के तहत निष्पादक को उक्त राशि का भुगतान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु निष्पादक के लिए यह अनिवार्य है कि निष्पादक को उक्त राशि का भुगतान किए जा सकने से पूर्व उक्त (ग) को पूर्वोक्त देय राशि हेतु सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु एक प्रतिभू/ दो प्रतिभुओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे।

और जबकि निष्पादक और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और तरीके से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि निष्पादक को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरूद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में निष्पादक और/ या प्रतिभू..... रूपए की उक्त राशि सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के

परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चो के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूरित और हानिरहित रखेंगे तब यह बंधपत्र अथवा बाध्यता शून्य होगी और प्रभावी नहीं होगी लेकिन अन्यथा यह पूर्ण वैध, बाध्यकारी और प्रभावी रहेगी।
और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी है कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबंधित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, निष्पादक द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्ययक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, निष्पादक पर मुकदमा चलाए और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।
इसके साक्ष्यस्वरूप निष्पादक और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, माह और वर्ष को यहां अपने हस्ताहक्षर किए हैं।

उपर्युक्त 'निष्पादक' द्वारा निम्निलखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1..... 2.....

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1..... 2.....

भारत के राष्ट्रपति के लिए व उनकी ओर से.....

(गवाह का नाम व पदनाम)

की उपस्थिति में .....

(संविधान के अनुच्छेद 299(।) के अनुसरण में राष्ट्रपति की ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम)

द्वारा स्वीकृत।

टिप्पाणी - (क) दावाकर्ता, जिसे 'निष्पादक' कहा गया है, का पूरा नाम और पता

(ख) दिवंगत कर्मचारी से निष्पादक का संबंध

(ग) दिवंगत सरकारी कर्मचारी का नाम

(घ) पिता/ पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

(ड.) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम

टिप्पाणी।। - इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि निष्पादक और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ,]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 2014

vf/klpuk

सा.का.नि 266 – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (पांचवा संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(5क) राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश की, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, पुनरीक्षा कर सकते हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं, या किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकते हैं कि वह आगेऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे; याऐसे अन्य आदेशों को पारित कर सकते हैं जिन्हें वह ठीक समझें।

परंतु राष्ट्रपति के द्वारा, पेंशन या उपदान की रोकी जाने वाली या प्रत्याहरित राशि में वृद्धि करने वाले किसी आदेश को, जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को उक्त प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान किया गया है, और सिवाय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, जारी नहीं किया जाएगा।

(सं. 38/50/2012–पीएंड पी डब्ल्यू (ए)
(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (पप) में का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित किए गए थे। जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात् :–

1. का.आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का.आ. 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का.आ. 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का.आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का.आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का.आ. 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का.आ. 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990
8. का.आ. 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990
9. का.आ. 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990
10. का.आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का.आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का.आ. 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का.आ. 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा.का.नि. 399, तारीख 1 फरवरी, 1991
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1991
17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसंबर, 1991
18. का.आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितंबर, 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा.का.नि. 389 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ. 904 (अ), तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का.आ. 717 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि. 75 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002

29. का.आ. 860 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का.आ. 1483 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का.आ. 1487 (अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का.आ. 1821 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2005
34. सा.का.नि. 258 (अ), तारीख 31 मार्च, 2008
35. का.आ. 1028 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का.आ. 829 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010
37. सा.का.नि. 176, तारीख 11 जून, 2011
38. सा.का.नि. 928 (अ), तारीख 26 दिसंबर, 2012
39. सा.का.नि. 938 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2012
40. सा.का.नि. 103 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2014
41. सा.का.नि. 138 (अ), तारीख 3 मार्च, 2014
42. सा.का.नि. 233 (अ), तारीख 28 मार्च, 2014
43. सा.का.नि. 628 (अ), तारीख 01 सितंबर, 2014

सं. 38/31/11- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (खंड. IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 18 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन - सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का समावेशन।

1. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 1.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (दिनांक 3.10.2008 और 14.10.2008 के का.ज्ञा. द्वारा यथास्पष्ट) के पैरा 4.2 के अनुसार वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभेगियों की संशोधित पेंशन, किसी भी स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति के समय संशोधन-पूर्व वेतमान के तदनुरूपी वेतनबैंड और ग्रेड वेतन के योग के न्यूनतम वेतन के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी। उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) और उससे उच्चतर वेतनमानों के मामले में, यह न्यूनतम संशोधित वेतनमान का पचास प्रतिशत होगी। इसके अलावा, दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुसार ऊपर उल्लिखित दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा. के पैरा 4.1 अथवा 4.2 की शर्तों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से यथासंशोधित वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के संबंध में सामान्य कुटुंब पेंशन को भी दिनांक 24.9.2012 से संशोधनपूर्व वेतनमान में, जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था, के तदनुरूपी वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के योग के न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1/2008-आई सी से संलग्न फिटमेंट टेबल के अनुसार गणना होगी। उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच ए जी) और उच्च वेतनमानों के मामले में, यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.08.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में संलग्न फिटमेंट टेबल के अनुसार दिए गए संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा।

2. सिविल अपील सं. 10640-46/2013 और अन्य वाले मामले के दिनांक 27.11.2013 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 07.04.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45012/11/97-सीजीएस.V के अनुसार, सेवानिवृति लाभों सहित सभी सेवा लाभों में प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) की गणना वेतन के रूप में की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन में इस विभाग के दिनांक 21.10.2014 के साथ पठित दिनांक 14.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/31/11-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (खंड. IV) के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे मामलों में जहां दिनांक 11.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के साथ पठित दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/10/98-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के अनुसार समेकित पेंशन/कुटुंब पेंशन को न्यूनतम संशोधित वेतनमान के क्रमश: 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के मामले में वर्ष 1996 से पूर्व वेतनमान, जिसमें पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, के संगत दिनांक 1.1.1996 को न्यूनतम संशोधित वेतनमान में 25 प्रतिशत की दर से एनपीए शामिल किया जाए।

3. इस विभाग के दिनांक 14.7.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के मामले में दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा. सं. 38/37/08-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (दिनांक 3.10.2008 और 14.10.2008 के का.ज्ञा. द्वारा यथा स्पष्ट) के पैरा 4.2 की शर्तों के अनुसार, दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार जहां समेकित पेंशन/ कुटुंब पेशन को क्रमश: 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत बढ़ाया जाना है, ऐसे मामलों में वर्ष 2006 के पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनबैंड + ग्रेड वेतन/ संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन में एनपीए को शामिल नहीं किया जाना है।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 29.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.45012/12/2008-सीएचएस.V में यह प्रावधान किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों की पात्रता के साथ ही सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए एनपीए को वेतन माना जाए। अत: सिविल अपील सं. 10640-46/2013 में दिनांक 27.11.2013 के कथित निर्णय का अनुपात, वर्ष 2006 पूर्व सेवानिवृत्त सिविल चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन/ कुटुंब पेंशन में संशोधन के लिए दिनांक 1.1.2006 से प्रभावी होगा। तदनुसार, दिनांक 14.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्लू (ए) को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। वर्ष 2006 के पूर्व के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के मामले में, न्यूनतम वेतन के क्रमश: 50% / 30% तक पेंशन / कुटुंब पेंशन बढ़ाए जाने वाले मामले में पूर्व संशोधित वेतनमान, जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हैं, के तदनुरूपी संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन (अथवा उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और इससे उच्चतर ग्रेड के मामलें में संशोधित वेतमान में न्यूनतम वेतन) में न्यूनतम वेतन के 25% की दर से एनपीए शामिल करना होगा।

5. इसी प्रकार, दिनांक 28.1.2013 कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, दिनांक 24.9.2012 से प्रभावी पेंशन/ कुटुंब पेंशन में संशोधन के लिए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.08.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में संलग्न फिटमेंट टेबल के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति के समय पूर्व संशोधित वेतनमान के तदनुरूपी संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन (अथवा उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और इससे उच्चतर ग्रेडों के मामले में संशोधित वेतमान में न्यूनतम वेतन) में न्यूनतम वेतन में 25% की दर से एनपीए शामिल करना होगा, बशर्ते मूल वेतन + एनपीए 85,000/- रूपए से अधिक न हो।

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन से उनके दिनांक 2.1.2015 के अंतर-विभागीय सं. 721/ई-V/2014 और विधि मंत्रालय के दिनांक 29.1.2015 के फा.सं. 213/एडवाइस'ए'/2015 के तहत जारी किया जाता है।

(तृप्ति पी.घोष)
निदेशक

सेवा में,

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
4. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक/ रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय

4/2/2013- पी एंड पीडब्यूसभ (समन्वकय)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्लीव, दिनांक 19 फरवरी, 2015

विषय: 'अनुभव' - सेवा के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जाना- विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुरत किए जाने के संबंध में।

1. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को संतुष्टि और सेवारत कर्मचारियों को प्रेरणा प्रदान करेगा। यह सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों के संसाधन का सेवानिवृत्ति उपरांत राष्ट्र निर्माण में स्वैच्छिक योगदान करने का भी एक सुअवसर होगा। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी, यथोचित संलग्नकों के साथ 5000 शब्दों तक में अपने आलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सूचित करें कि वे स्वेंच्छया सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के फार्म 5 के साथ संलग्न फार्म में अपने ब्यौरे प्रस्तुत कर दें।

3. ध्यान रहे कि -

   (क) चूंकि अधिकांश सफल प्रयासों में पूरी टीम का योगदान होता है, अत: सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारी अपने उल्लेख में टीम के अन्य सदस्यों के नामों का उल्लेख कर सकते हैं।

   (ख) कोई ऐसा कार्य, जिससे सरकारी कामकाज की कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता में योगदान किया हो या/और कोई नवाचार जिससे कार्य संस्कृति में सुधार हुआ हो या सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के विचार से किसी उल्लेनखनीय योगदान का ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है।

   (ग) धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति की (अथवा जेंडर आधारित या जाति और पंथ पर आधारित) टिप्पणियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। आलेख की सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो

सामुदायिक सौहार्द्र को बिगाड़े या राष्ट्रहित के विरुद्ध हो। आलेख में कोई संवेदनशील या गुप्त सूचना नहीं होनी चाहिए।

4. कार्यालयाध्यक्ष आलेख की विषय-वस्तु की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आलेख उचित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है और उसे अनुमोदन हेतु प्रशासनिक प्रमुख/ नामित अधिकारी के पास भेजें। यह कार्य, सेवानिवृत्ति से न्यूनतम एक माह पूर्व संपन्न कर लिया जाए और उस निष्कर्ष को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन के माध्ययम से संबंधित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

5. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, विभिन्न विभागों से प्राप्त ब्यौरों और सूचना के संग्रह और समन्वय का कार्य करेगा।

6. (क) अखिल भारतीय सेवाओं के इतर कर्मचारी का आलेख उस विभाग, जहां से वह सेवानिवृत्त हो रहा है, की वेबसाइट और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी का आलेख उपर्युक्त के अलावा संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की वेबसाइट और उसके राज्य संवर्ग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

7. जहां इसके लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे, वहीं कर्मचारी ऑनलाइन जाने की बजाय कागज पर भी अपने आलेख प्रस्तुत कर सकेंगे।

8. विभाग की वेबसाइट पर आलेख प्रदर्शित करते समय एक डिस्कलेमर भी दिया जाएगा कि आलेख की सामग्री और सुझाव सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के हैं और यह कि विभाग, तथ्यात्मक अशुद्धियों और दावों की सच्चाई के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(वंदना शर्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

सं. 4/2/2014-पी एंड पी डब्यूच (समन्वय)

भारत सरकार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्यानण विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक: 5 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए ''अनुभव'' नामक साफ्टवेयर के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.02.2015 के ''अनुभव'' विषयक समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी, मंत्रालयों/विभागों के कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों द्वारा इस अप्लीकेशन के प्रयोग से संबंधित निर्देश संलग्न हैं। इन निर्देशों को उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के साथ पढ़ा जाए।

2. कृपया persmin.gov.in/pension.asp के “Anubhav” लिंक पर क्लिक कर लॉग ऑन करें। लॉग इन आईडी और पासवर्ड की जानकारी संलग्न दस्तावेज में दी गई है।

3. “Anubhav” पर मौजूद फार्म, जिसपर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को अपने उत्कृष्ट कार्य का विवरण भरना होता है, को भी सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संशोधित ''अनुभव'' फार्म की एक प्रति भी संलग्न है। इस फार्म को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के फार्म 5 के साथ प्रस्तुत करना है।

4. इस परियोजना की सर्वोच्च स्तरों पर निगरानी की जा रही है, अत: इन निर्देशों को मंत्रालय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया जाए और ''अनुभव'' में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

5. इस विषय में किसी स्पष्टीकरण या फीडबैक के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें।

(तृप्ति घोष)

निदेशक (पीपी)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - परिचालन सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचनार्थ।

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 2015

सा.का.नि 232 (ई) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2015 कहा जाए।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के फार्म 5 में "फार्म 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांचसूची में" क्रम संख्या 8 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के उपरांत निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तर्स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

   "9. 'अनुभव' के अंतर्गत ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म (स्वैच्छिक)"

[फाइल सं. 4/2/2014-पी एंड पीडब्ल्यू (समन्वय)]

(वंदना शर्मा)
संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का.आ. सं. 934 तारीख 1 अप्रैल द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नियमों का चौथा संस्करण जुलाई,1988 तक शुध्द किया गया था जिसे वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियम नीचे दी गई अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

1) का. आ.254 तारीख 4 फरवरी, 1989
2) का. आ.970 तारीख 6 मई, 1989
3) का. आ. 2467 तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4) का. आ. 899 तारीख 14 अप्रैल, 1990
5) का. आ 1454 तारीख 26 मई, 1990
6) का. आ 2329 तारीख 8 सितंबर, 1990

7) का. आ 3269 तारीख 8 दिसंबर, 1990
8) का. आ 3270 तारीख 8 दिसंबर 1990
9) का. आ 3273 तारीख 8 दिसंबर 1990
10) का. आ 409 तारीख 9 फरवरी, 1991
11) का. आ 464 तारीख 16 फरवरी, 1991
12) का. आ 2287 तारीख 7 सितंबर, 1991
13) का. आ 2740 तारीख 2 नवंबर, 1991
14) सा.का.नि. 677 तारीख 7 दिसंबर, 1991
15) सा.का.नि. 399 तारीख 1 फरवरी, 1992
16) सा.का.नि. 55 तारीख 15 फरवरी, 1992
17) सा.का.नि. 570 तारीख 19 दिसंबर, 1992
18) का. आ 258 तारीख 13 फरवरी, 1993
19) का. आ 1673 तारीख 7 अगस्त, 1993
20) सा.का.नि. 449 तारीख 11 सितंबर,1993
21) का. आ 1984 तारीख 25 सितंबर, 1993
22) सा.का.नि. 389 (अ)तारीख 18 अप्रैल, 1994
23) का. आ 1775 तारीख 19 जुलाई, 1997
24) का. आ 259 तारीख 30 जनवरी, 1999
25) का. आ 904 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2000
26) का. आ 717(अ) तारीख27 जुलाई, 2001
27) सा.का.नि. 75(अ) तारीख 1 फरवरी, 2002
28) का. आ 4000(अ) तारीख 28 दिसंबर, 2002
29) का. आ 860(अ) तारीख 28 जुलाई, 2003
30) का. आ 1483(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2003
31) का. आ 1487(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32) सा.का.नि. 723(अ) तारीख 23 नवंबर, 2006
33) का. आ 1821(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34) सा.का.नि. 258(अ)तारीख 31 मार्च, 2008
35) का. आ 1028 (अ) तारीख 25 अप्रैल, 2008
36) का. आ 829(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2010
37) सा.का.नि. 176 तारीख 11 जून, 2011
38) सा.का.नि. 928(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2012
39) सा.का.नि. 938 (अ)तारीख 27 दिसंबर, 2012
40) सा.का.नि. 103 (अ)तारीख 21 फरवरी, 2014
41) सा.का.नि. 138 (अ)तारीख 3 मार्च, 2014
42) सा.का.नि. 233 (अ)तारीख 28 मार्च, 2014
43) सा.का.नि. 628 (अ)तारीख 1 सितंबर, 2014
44) सा.का.नि. ... तारीख 2014

सं. 1/19/2014-पी एंड पी डब्यू4 (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याशण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 31 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आधार संख्या के लिए नामांकन और उन्हें सभी पेंशनभोगियों एवं कुटुंब पेंशनभोगियों के पेंशन अभिलेखों में दर्ज किए जाने के संबंध में।

1. माननीय प्रधानमंत्री जी ने माह नवंबर, 2014 में पेंशनभोगियों द्वारा ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 'आधार' पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली ''जीवन प्रमाण'' का शुभारंभ किया है। यह, डिजिटल भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्व'पूर्ण कदम है। यह सुविधा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुनत करने के लिए उपलब्ध अन्य विधियों के अतिरिक्त' है।

2. ''जीवन प्रमाण'' का उद्देश्य पेंशनभोगियों एवं कुटुंब पेंशनभोगियों को बैंक की शाखा या किसी अन्य पेंशन वितरक एजेंसी में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाई से बचाना है। अब किसी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से अथवा नजदीकी सुविधा केंद्र मे जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है। इसके अतिरिक्त बैंक, बैंक खातों एवं पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) संख्यां को आधार संख्याय से लिंक कर पेंशन एवं अन्य भुगतानों की वैधता को सुनिश्चित करेंगे।

3. अत: सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को सुझाव दिया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने परिजनों को आधार के लिए पंजीकृत करवा लें और पेंशन वितरक अधिकारी को आधार संख्या के बारे में सूचित कर दें। यह कार्य यथाशीघ्र संपन्न कर लिया जाए ताकि नवंबर, 2015 में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय किसी असुविधा से बचा जा सके।

(वंदना शर्मा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी

Designed & Printed by Ankita Art Printers # 9811293002